कारपोरेट कार्य मंत्रालय नीतिगत योजना दस्तावेज

विषय सूची

कारपोरेट कार्य मंत्रालय - नीतिगत योजना 2

खंड 1: मंत्रालय की परिकल्पना, लक्ष्य, उद्देश्य एवं कार्य....................2
- मंत्रालय की परिकल्पना....................2
- मंत्रालय का लक्ष्य....................2
- कारपोरेट कार्य मंत्रालय के उद्देश्य....................2
- कारपोरेट कार्य मंत्रालय के कार्य....................2

खंड 2: स्थिति का विश्लेषण....................4
- 2क. कौन से बाहरी कारक हमें प्रभावित करेंगे?....................8
- 2ख. हमारे शेयरहोल्डर कौन हैं?....................10
- 2ग. हमारी ताकत और कमजोरियां क्या हैं?.................... 15
- 2घ. भविष्य के लिए सीखना?.................... 17

खंड 3: कारपोरेट कार्य मंत्रालय नीति की रूपरेखा (खंड 2 के निर्धारण चरण का अनुवर्तन) 18
- 3क. कार्यक्षम नीति.................... 18
- 3ख. हम कैसे अपने शेयरहोल्डरों को शामिल करें?.................... 23
- 3ग. हम कैसे अपने ज्ञान एवं क्षमताओं का निर्माण करें?.................... 27
- 3घ. प्राथमिकताएं क्या हैं?.................... 29

खंड 4: कार्यान्वयन योजना.................... 31

खंड 5: नीतिगत योजना एवं आरएफडी के बीच अनुबंधन.................... 44

खंड 6: परस्पर विभागीय एवं परस्पर प्रयोजनमूलक मुद्दे.................... 46
- 6क. 12वीं योजना में संभावित तौर पर निपटाएं जाने वाले संभाव्य चुनौतियों का अनुबंधन 46
- 6ख और 6ग. अन्य मंत्रालयों एवं विभागों के बीच अनुबंधन तथा संबंधित नीतिगत पहलें 48
- 6घ. संगठनात्मक पुनरावलोकन तथा एजेंसियों की भूमिका एवं व्यापक जन सेवा 50

खंड 7: निगरानी एवं पुनरावलोकन व्यवस्थाएं 51

कारपोरेट कार्य मंत्रालय - नीतिगत योजना

खंड 1: मंत्रालय की परिकल्पना, लक्ष्य, उद्देश्य एवं कार्य

मंत्रालय की परिकल्पना

"प्रबुद्ध विनियमन के साथ कारपोरेट विकास में सहयोग करना"

मंत्रालय का लक्ष्य:

व्यापारिक वातावरण में हो रहे परिवर्तनों के प्रति अनुक्रियाशील एवं संवेदनशील होना तथा समय-समय पर कारपोरेट कानूनों एवं विनियमनों को उपयुक्त रूप से तैयार एवं संशोधित करना।

कारपोरेट कार्य मंत्रालय के उद्देश्य:

1. प्रभावी अनुपालन एवं विनियमित शासन प्रणाली में सहयोग करने हेतु कारपोरेट क्षेत्र को शासित करने के लिए सरल कानून की व्यवस्था करना।

2. सभी रजिस्ट्री संबंधी सेवाओं की आपूर्ति शीघ्र, सुनिश्चित एवं पारदर्शी तरीके से करना, जन सूचना तक पहुंच तथा कंपनियों द्वारा सांविधिक अनुपालन की प्रभावी निगरानी करना

3. कारपोरेट जगत को अच्छे कारपोरेट शासन प्रथाओं एवं कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व अपनाने हेतु प्रोत्साहित करना

4. देश में कारपोरेट क्षेत्र के विकास में सहायता हेतु उचित व्यापारिक वातावरण का सृजन करने हेतु निवेशक शिक्षा एवं जागरूकता को प्रोत्साहित करना

5. आईआईसीए के माध्यम से क्षमता वृद्धि एवं सुरक्षित नीति परामर्शी सहायता विकसित करना

6. मंत्रालय की तत्वावधान में कंपनी अधिनियम एवं अन्य अधिनियमों का प्रशासन (कारपोरेट धोखाधड़ियों की रोकथाम हेतु प्रभावी प्रत्यावर्तन)

7. प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करना तथा गैर-प्रतिस्पर्धात्मक व्यवहारों की रोकथाम करना।

एमसीए के कार्य

1. कंपनी अधिनियम, 1956 तथा अन्य संबंधित अधिनियमों का प्रशासन
2. मंत्रालय द्वारा प्रशासित विभिन्न अधिनियमों के तहत नियमों एवं विनियमों का सूत्रीकरण
3. भारतीय लेखांकन मानकों का आईएफआरएस के साथ सुमेलन करना।
4. भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के माध्यम से प्रतिस्पर्धा अधिनियम का कार्यान्वयन करना।
5. कारपोरेट कार्य मंत्रालय में ई-गवर्नेंस।
6. कारपोरेट कार्य प्रणाली में अनियमितताओं का पहले ही पता लगाने हेतु तंत्र विकसित करना।
7. निवेशक शिक्षा एवं जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन करवाना।
8. गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय के माध्यम से गंभीर धोखाधड़ियों की जांच का कार्य करना।
9. भारतीय कारपोरेट विधि सेवा हेतु संवर्ग प्रशासन करना।

खंड 2: स्थिति का विश्लेषण

कारपोरेट कार्य मंत्रालय कंपनी अधिनियम, 1956 सहित कारपोरेट क्षेत्र के विनियमन हेतु व्यापक संविधियों के प्रशासन से संबंधित है। इसके अतिरिक्त, यह निम्नलिखित अधिनियमों का भी प्रशासन करता है:

- **i)** चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949
- **ii)** लागत एवं संकर्म लेखाकार अधिनियम, 1959
- **iii)** कंपनी सचिव अधिनियम, 1980
- **iv)** भागीदारी अधिनियम, 1932
- **v)** सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860
- **vi)** कंपनी (राष्ट्रीय कोष में दान) अधिनियम, 1951
- **vii)** एकाधिकार एवं प्रतिबंधित व्यापार व्यवहार (एमआरटीपी) अधिनियम, 1969
- **viii)** प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002, प्रतिस्पर्धा (संशोधन) अधिनियम, 2009 द्वारा यथासंशोधित
- **ix)** सीमित देयता भागीदारी (एलएलपी) अधिनियम, 2008

संगठनात्मक व्यवस्था

मंत्रालय में कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रशासन हेतु त्रिस्तरीय संगठनात्मक व्यवस्था है, नामश:-

- नई दिल्ली में सचिवालय
- मुम्बई, कोलकाता, चेन्नई एवं नोएडा (उ.प्र.) में क्षेत्रीय निदेशक तथा
- राज्यों एवं संघ शासित क्षेत्रों में कंपनी रजिस्ट्रारों के 20 कार्यालय

शासकीय समापकों के 10 कार्यालय जो देश में कार्यशील विभिन्न उच्च न्यायालयों से संबद्ध है, भी इस मंत्रालय के पूर्ण प्रशासनिक नियंत्रण में कार्यरत हैं।

भारत में उभरते कारपोरेट परिदृश्य

सार्वजनिक संसाधनों के संग्रहण के साथ आर्थिक एवं वाणिज्यिक गतिविधि हेतु कारपोरेट प्रारूप एक चयनित साधन के रूप में उत्तरोत्तर विकास कर रहा है। कंपनियों की संख्या वर्ष 1956 में लगभग 30,000 से बढ़कर आज तक लगभग 9 लाख हो गई है। इस पृष्ठभूमि में इस वृद्धि को बनाए रखने हेतु एक ऐसे कानूनी ढांचे को समर्थ बनाना है जो कारपोरेट क्षेत्र को सर्वोत्तम अंतर्राष्ट्रीय व्यवहारों के परिवेश में एक वैश्विक प्रतियोगी तरीके से संचालित होने में सहायता करते हुए निवेश एवं वृद्धि हेतु एक सकारात्मक परिवेश का विकास करे।

किसी राष्ट्र के विकास का आधार उसके विनियामक ढ़ांचे की गुणवत्ता, प्रभाव एवं सक्षमता है। अतः इस प्रकार के ढांचे को निर्धारित करने वाले कानून को ठोस, स्पष्ट प्रतिपादन के प्रति उत्तरदायी होना आवश्यक है ताकि अपेक्षित विनियामक संस्थागत ढांचे का विकास हो एवं वह सतत उभरते आर्थिक गतिविधियों एवं कारोबार संबंधी मॉडलों की अपेक्षाओं को पूरा करने हेतु एक समयबद्ध एवं उचित तरीके से प्रतिक्रिया दे।

असाधारण आर्थिक वृद्धि के साथ, भारत अंतर्राष्ट्रीय निवेश हेतु एक पसंदीदा पड़ाव बन गया है। इसके त्वरित वृद्धि हेतु कारपोरेट क्षेत्र को अतिरिक्त निरंतर सहायता देने की आवश्यकता है। कारपोरेट कार्य मंत्रालय को इस प्रयास में एक महत्वपूर्ण एवं सक्रिय भूमिका निभानी है तथा इस उद्देश्यार्थ सभी स्टेकहोल्डर्स को भागीदार बनाना है। मंत्रालय को कारपोरेट्स के विनियमन, वृद्धि एवं विकास के लिए उनकी उभरती जरूरतों को पूरा करने के लिए अपनी क्षमता में भी वृद्धि करनी है।

उपर्युक्त लक्ष्यों को प्राप्त करने के मद्देनजर, संघीय मंत्रिमंडल ने कारपोरेट कार्य मंत्रालय के तत्वाधान में **भारतीय कारपोरेट कार्य संस्थान (आईआईसीए)** की स्थापना का अनुमोदन किया। आईआईसीए, मंत्रालय, कारपोरेट, व्यावसायिकों, उद्यमों, शेयरधारकों तथा अन्य पणधारकों को संस्थागत सहयोग प्रदान करेगा। यह संस्थान अपने भव्य ज्ञान प्रबंधन प्रणाली के माध्यम से कार्यशील ज्ञान पर जोर देते हुए आज के कारोबार को सहायता देते हुए भविष्य के कारोबार की रुप-रेखा तैयार करेगा।

कई निवेशक अपने निवेश संबंधी विकल्पों के निर्धारण के दौरान भारत में कारपोरेट क्षेत्र के सांविधिक एवं विनियामक ढांचे की ओर आशा की नजरों से देख रहे हैं। **कारपोरेट विनिमयों के आधुनिकीकरण,** उपक्रम स्थापित करने के विभिन्न पहलुओं को प्रशासित करने, जोखिम एवं पुरस्कार को आपस में बांटने की संरचनाओं, उनका प्रशासन, शेयरधारकों के प्रति जवाबदेयता, प्रकटन हेतु वित्तीय प्रक्रियाएं एवं उत्तरदायित्व पुनर्वास, परिसमापन एवं बंद करने हेतु प्रक्रियाएं, आदि निवेशकों के ज्ञान के लिए एवं उनके कारोबार तथा निवेश संबंधी निर्णय के निर्धारण में महत्वपूर्ण हैं।

सर्वोत्तम वैश्विक व्यवहारों के अनुसार, **भारत में सीमित देयता भागीदारी (एलएलपी)** प्रारूप की कारपोरेट एंटिटियों की शुरुआत की गई है। सीमित देयता भागीदारी एक कानूनी प्रारूप है जो सीमित देयता भागीदारी अधिनियम, 2008 द्वारा प्रशासित होती है। कारपोरेट प्रारूप निकाय में एलएलपी एक नया व्यावसायिक साधन है अतः यह एक पृथक कानूनी एंटिटी है जो भागीदारों के उत्तरदायित्व को उनके द्वारा सहमत योगदान तक सीमित करता है। कोई भी दो या दो से अधिक व्यष्टि या कारपोरेट निकाय लाभ के उद्देश्य से विधि सम्मत व्यवसाय करने हेतु एलएलपी का गठन कर सकते हैं। एलएलपी संरचना किसी विशिष्ट व्यापार, कारोबार, व्यवसाय या सेवा

तक सीमित नहीं है। एलएलपी एक कानूनी एंटिटी है जो अपने भागीदारों से अलग है और इसमें निरंतर उत्तराधिकार होता है। एलएलपी संरचना किसी उपक्रम को अपने आंतरिक संरचना को एक भागीदारी के रूप में संगठित करने की सुनम्यता प्रदान करता है।

कारपोरेट कार्य मंत्रालय ने **एमसीए-21 ई-गवर्नेंस परियोजना** का कार्यान्वयन किया है। यह **राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना (एनईजीपी)** के तहत एक **मिशन मोड परियोजना (एमएमपी)** है। यह परियोजना एमसीए द्वारा प्रदत्त सभी रजिस्ट्री संबंधी सेवाओं के आसान एवं सुरक्षित ऑनलाइन पहुँच की परिकल्पना करता है जिसमें पूरे देश भर में कारपोरेट्स एवं अन्य पणधारकों द्वारा किसी भी समय तथा उनकी सुविधानुसार तरीके से दस्तावेजों का पंजीकरण करना एवं उन्हें दर्ज करना शामिल है। यह कार्यक्रम परिणाम आधारित है तथा उनकी सुविधानुसार तरीके से दस्तावेजों का पंजीकरण आधारित है तथा देश के कारपोरेट क्षेत्रों के विभिन्न स्टेकहोल्डर्स को दी जाने वाली सेवाओं में सुधार लाने पर केन्द्रित है।

यह परियोजना सभी 20 रजिस्ट्री स्थानों से पूर्ण संचालित है। वर्ष 2009 के दौरान ई-स्टैम्पिंग को स्वयं एमसीए-21 पोटर्ल में शामिल किया गया है। स्टैम्प शुल्क से प्राप्त राजस्व को सप्ताह के अंत में भारतीय रिजर्व बैंक को प्रेषित कर दिया जाता है तथा भारतीय रिजर्व बैंक इसे उसी दिन संबंधित राज्य सरकारों को प्रेषित कर देता है।

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का कार्यालय (सीसीआई) सीसीआई की स्थापना दिनांक 14 अक्तूबर, 2003 को हुई थी। प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 के तहत, आयोग को अधिदेश दिया गया है कि वह

(क) प्रतिस्पर्धा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली प्रथाओं को रोके
(ख) बाजार में प्रतिस्पर्धा को बनाए रखे एवं इसे प्रोत्साहित करें;
(ग) उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करे, तथा
(घ) कारोबार की स्वतंत्रता सुनिश्चित करें

लेखांकन मानक नीति संबंधी दस्तावेज हैं जिनका संबंध लेखांकन आदान-प्रदान एवं घटनाओं के मापन, निरूपन, प्रदर्शन एवं प्रकटन से है। लेखांकन मानकों का उद्देश्य विभिन्न लेखांकन नीतियों को मानकीकृत करना है ताकि वित्तीय विवरणों की अतुलनीयता को दूर किया जा सके। लेखांकन मानक नीतियों से संबंधित एक ऐसा सेट प्रदान करने का उद्देश्य है जो सामान्यतः स्वीकृत सिद्धांतों एवं नीतियों के अनुरूप हों।

कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 211(3ग) के प्रावधानों के अनुसरण में **कंपनी (लेखांकन मानक) नियम, 2006** को भारत के राजपत्र में दिनांक 7 दिसंबर, 2006 को अधिसूचित किया गया। इससे पूर्व भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान द्वारा जारी लेखांकन मानक परामर्शिका के रूप

में प्रवृत्त थे। वर्तमान में 28 लेखांकन मानकों को अधिसूचित किया गया है। कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत पंजीकृत कंपनी के लिए इन मानकों का अनुपालन करना अपेक्षित है।

अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानक (आईएफआरएस) को "सिद्धांतों पर आधारित" मानकों का सेट माना जाता है क्योंकि वे वृहत् नियमों की स्थापना करने के साथ-साथ निर्दिष्ट निरूपण संबंधी अधिदेश देते हैं। वित्तीय विवरणों को तैयार करने एवं उनके प्रदर्शन संबंधी एक ढांचा भी है जो आईएफआरएस में शामिल कुछ सिद्धांतों को परिभाषित करते हैं।
वित्तीय विवरणों का उद्देश्य वित्तीय स्थिति, कार्य-निष्पादन तथा एंटिटी की वित्तीय स्थिति में परिवर्तन के बारे में वह सूचना प्रदान करना है जो बड़े क्षेत्र के प्रयोक्ताओं को आर्थिक निर्णय लेने में सहायता प्रदान करें तथा एंटिटी के शेयरधारकों एवं आम जनता को उसकी चालू वित्तीय स्थिति की जानकारी दी जा सके।

भारत ने भारतीय कंपनियों एवं विनियामक निकायों द्वारा परिवर्तन एवं संक्रमण की अपेक्षाओं को अपनाएं जाने हेतु **आईएफआरएस के साथ कनवर्जेंस** की नीति अपनाई है। अतः भारतीय लेखांकन मानकों का आईएफआरएस के साथ तालमेल की पहल की गई है जिसे 2011 तक प्रात कर लेने का उद्देश्य है।

कारपोरेट विकास के इस तेजी से उभरते परिदृश्य में, हाल में कारपोरेट धोखाधड़ियों से संबंधित मामलों की भी घटनाएं घटी है। निवेशकों एवं आम जनता की यह उच्च आशा है कि कारपोरेट कानूनों में कमियों को दूर किया जाए जिससे ऐसे अपराध संभव न हो एवं नियामको द्वारा ऐसी धोखाधड़ियों से संबंधित व्यक्तियों को ढूंढा जा सके। जैसा कि एमसीए-21 में स्टेकहोल्डर्स की सुविधाओं के सृजन में सफलता मिली है, वैसे ही **प्रौद्योगिकी,** प्रबुद्ध विनियामकों के साथ व्यवस्था एवं प्रक्रियाओं को और अधिक पारदर्शी बनाने एवं व्यवस्था के साथ किसी प्रकार के छेड़-छाड़ को कठिन बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगी।

2.क. कौन से बाह्य कारक हमें प्रभावित करेंगे?

उपर्युक्त पृष्ठभूमि में जब कि कारपोरेट कार्य मंत्रालय आगे बढ़ रहा है - मंत्रालय हेतु नीतिगत योजना के प्रयोग के एक ढांचे के रूप में अवसरों, आशंकाओं, सहायक कारकों एवं विरोधी कारकों का विश्लेषण किया गया, जिसका सारांश नीचे दिया गया है:-

कारक	अवसर	आशंका	सहायक कारक	विरोधी कारक
राजनैतिक	समावेशी कारपोरेट वृद्धि हेतु राजनैतिक प्रतिबद्धता	घोटालों से लोगों के विश्वास में कमी आ सकती है।	भ्रष्टाचार को रोकने एवं दोषियों को दंड देने के लिए जनता का वृहत सहयोग	कारपोरेट क्षेत्र पर सरकार के नियंत्रण की मात्रा पर सहमति का अभाव
आर्थिक	उदारीकरण के पश्चात कारपोरेट क्षेत्र में विकास हेतु अत्यधिक संभावनाएं	कारपोरेट विकास पर्याप्त समावेशी नहीं	सुधारों हेतु बाजारों द्वारा दबाव डाला जा रहा है।	विकास की दौर में "आम आदमी" को पीछे छोड़ दिया गया।
सामाजिक - सांस्कृतिक	बढ़े हुए नियोजन अवसर	सामाजिक अथवा वातावरण संबंधी गैर-संपोषित परियोजनाओं के मामले (उदाहरणस्वरूप, खनन)	प्रशिक्षित एवं मोबाइल पोप्यूलेशन की उपलब्धता	जनसंख्या का सीमांन्तिक हिस्सा कारपोरेट विकास के साथ एकीकृत नहीं होता है। कई कारपोरेट एवं सरकारी कर्मिकों के साथ-साथ व्यावसायिकों के आचरण में नैतिकता की कमी सरकारी संरचना में अंतर्निहित कमजोरी जैसे, मानवशक्ति की

				निम्न प्रेरणा जो प्रक्रियाओं एवं प्रौद्योगिकी में परिवर्तन का विरोधी है।
तकनीकी	प्रौद्योगिकी, कारपोरेट विकास में भागीदार है, जो सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से निगरानी एवं अनुपालन तंत्र में सुधार लाता है।	प्रौद्योगिकी के अधिक उपयोग से परंपरागत नियोजन अवसरों में कमी आ सकती है।	प्रतिस्पर्धा एवं उदारीकरण ने नई तकनीक के लागत में कमी लाई है।	तकनीक बहुत शीघ्रता से पुरानी हो जाती है तथा यह एक आवर्ती लागत है। कंपनियों से संबंधित एमसीए आंकड़ों का चालू एमसीए-21 संरचना में पूर्ण उपयोग नहीं किया जाता है।
वातावरण संबंधी	वातावरण संबंधी विषयों का ख्याल रखने से एक बेहतर कारपोरेट ब्रांड के सृजन में सहायता मिलती है।	अति विनियमन कारोबार को हानि पहुंचाना है।	मीडिया तथा सामाजिक ग्रुपों द्वारा बढ़ती सहभागिता से कानूनी चूक ध्यान में लाई जा रही है।	सुस्त एवं बोझिल न्यायिक प्रक्रियाएं

2.ख. हमारे स्टेकहोल्डर्स कौन हैं?

इस नीतिगत योजना प्रक्रम में सभी मान्य उद्देश्यों एवं नीतियों के प्रति सभी स्टेकहोल्डर्स की पूर्ण प्रतिबद्धता एवं समर्थन प्राप्त करने को सुनिश्चित करना बहुत महत्वपूर्ण है। यह समझने के लिए कि स्टेकहोल्डर्स की शक्तियां क्या हैं तथा संपूर्ण योजना, नीति एवं परिवर्तित प्रबंधन प्रक्रिया में उनके स्टेक क्या है, एक विश्लेषण किया गया।

यह हमें अप्रत्याशित घटनाओं एवं बाधाओं के विरूद्ध पूर्व सक्रिय बनने में समर्थ बनाएगा, जिनका सामना अन्यथा नीतिगत योजना के कार्यान्वयन चरण के दौरान करना पड़ता है, यह हमें भविष्य के लिए बेहतर रूप से तैयार करेगा। निम्नलिखित विश्लेषण स्टेकहोल्डर्स के दो प्रासंगिक पहलुओं, अर्थात् वे हम पर कौन सी शक्तियों का प्रयोग करते हैं, तथा मंत्रालय के कार्य में उनके स्टेक अथवा हित क्या है, पर केन्द्रित है:

(i) शक्ति

क. वे किस प्रकार हमारी मदद कर सकते हैं?

ख. वे किस प्रकार हमें रोक सकते हैं?

(ii) स्टेक

क. वे हमसे क्या चाह सकते हैं?

ख. हम उनसे क्या चाहते हैं?

शक्ति			स्टेक	
ग्रुप/व्यष्टि	वे किस प्रकार हमारी मदद कर सकते हैं?	वे किस प्रकार हमें रोक सकते हैं?	वे हमसे क्या चाहते हैं?	हम उनसे क्या चाहते हैं?
1 व्यावसायिक संगठन	किसी नए विधान से पहले कारपोरेट क्षेत्र को मंत्रालय के साथ विचार-विमर्श करने का मौका	पूरी तरह से गैर-विनियामक होने के कारण नए विधान बनाने में उनकी रुचि हो सकती है।	प्रबुद्ध विनियमन आसान निकासी हेतु एक कानूनी ढांचा प्रदान करना	कंपनियों द्वारा बेहतर अनुपालन

2 व्यावसायिक संस्थान एवं निकाय	(क) स्टेकहोल्डर की आशाओं हेतु महत्वपूर्ण इनपुट प्रदान करना (ख) एमसीए अनुपालन हेतु उनके सदस्यों को प्रभावित करना	कारपोरेट्स को गलत फीड-बैक देकर वे गैर-कानूनी/अनैतिक आचरण कर सकते हैं और नए विनियमों को प्रभावित कर सकते हैं	प्रबुद्ध विनियमन	कंपनियों द्वारा बेहतर अनुपालन बेहतर नैतिकता एवं निष्ठा
3 क्षेत्रीय स्तर के अधिकारी (अधिकारी/ कर्मचारी)	चूंकि वे क्षेत्रीय स्तर पर मंत्रालय के सेवा प्रदाता है अतः वे स्टेकहोल्डर्स की आशाओं हेतु महत्वपूर्ण इनपुट प्रदान कर सकते हैं	अधिकतर सरकारी अधिकारियों की तरह परिवर्तन के विरोधी होने के कारण वे किसी भी नई सेवा अथवा विनियम के प्रारंभण को प्रभावित कर सकते हैं।	सरल कानून जिसमें अधिक विनियामक स्वतंत्रता रहेगी	मंत्रालय की सेवाओं की आपूर्ति एक पारदर्शी सही एवं जवाबदेह तरीके से, होगा जिससे मंत्रालय की छवि में सुधार होगा
4. निवेशक	प्रभावी विनियमों के माध्यम से कारपोरेट गवर्नेंस को मजबूती प्रदान करना	उच्च रिटर्न हेतु अत्यधिक दबाव डालने से कारपोरेट क्षेत्र विनियमों का पालन नहीं करते हैं और वातावरण को हानि पहुंचाने वाली प्रौद्योगिकी को अपनाते है	(क) सही एवं जागरूक निवेश निर्णय लेने हेतु मंत्रालय का मार्गदर्शन, (ख) कारपोरेट धोखाधड़ी का निवारण, (ग) धोखेबाज कंपनियों के विरूद्ध कार्रवाई करना (घ)	जागरूक जानकार एवं उत्तरदायी निवेशक बनना

			आसान निकास हेतु कानूनी ढांचा प्रदान करना	
5 बैंक	एमसीए की तकनीकी नवीनताओं के साथ तालमेल स्थापित करना एमसीए फंड की त्वरित प्रक्रिया	अत्यधिक जटिल बैंकिंग विनियम एमसीए नीति निर्माण को प्रभावित कर सकते हैं	समान अवसर प्रदान करना तथा उनके लिए अधिक व्यावसायिक अवसरों का सृजन करना	सरकारी निधि का पारदर्शी प्रभावपूर्ण एवं कार्यकारी अंतरण करना स्टेकहोल्डर्स की चिंताओं के प्रति प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए पुनर्विचार करना।
6. अन्य सरकारी मंत्रालय/विभाग	एमसीए एवं उसके शेयरधारकों हेतु आंकड़े उपलब्ध कराना और सुविधाओं का आदान-प्रदान करना	सेवाओं के विरोधाभाष या समान प्रकार की सेवाओं का शमन करना अंतिम प्रयोक्ता की दुविधाओं का समाधान करना	(क) सबसे अधिक सफल ई-गवर्नेंस पहल - एमसीए-21 से संबंधित तकनीक की जानकारी रखना (ख) उनकी आंतरिक प्रक्रियाओं हेतु कारपोरेट सूचना (ग) उनकी सांख्यिकी एवं रिपोर्टों हेतु एमसीए-21 आंकड़े प्रदान करना	जहां आवश्यक हो वहां प्रक्रिया एवं तकनीकी योग्यता प्रदान करना एमसीए अनुरोधों पर संबंधित मंत्रालयों की प्रतिक्रियाओं का शीघ्र एवं विचारपूर्ण उत्तर देना
7. राज्य सरकारें (स्टांप कर आदि)	एमसीए सेवाओं के प्रसार हेतु संचार कड़ी प्रदान करना	कुछ एमसीए कार्यक्रमों एवं योजनाओं को स्थानीय रूप से सहयोग प्रदान	(क) सक्षम एवं उत्तरदायी क्षेत्रीय कार्यालय (ख) सुचारु रूप से राजस्व	एमसीए कार्यालयों एवं परिसंपत्तियों का संरक्षण एवं सहयोग तथा एमसीए नीतियों एवं विनियमनों का

		नहीं कर सकते हैं।	संग्रहण एवं स्टांप कर तथा अन्य राजस्वों का अंतरण	विस्तारपूर्वक प्रसार
8. एमसीए-21 संचालक	अतिमहत्वपूर्ण मंत्रालयी अपेक्षाओं तथा स्टेकहोल्डर्स की चिंताओं के प्रति शीघ्र प्रतिक्रिया	एमसीए आंकड़े एवं अवसंरचना का ह्रास अथवा नुकसान सेवा लागत में वृद्धि करना	उच्च स्तरीय ई-गवर्नेंस कार्यक्रम में भागीदारी	एमसीए अवसंरचना एवं आंकड़ों के रख-रखाव में उपयुक्त सत्यनिष्ठा
9. प्रौद्योगिकी निर्माता तथा आर एण्ड डी नवीनीकरण	ऐसी तकनीक का विकास करना जिसका प्रसार किया जा सके और जिससे एमसीए की परिकल्पना एवं उद्देश्यों का एक सफलतापूर्वक तरीके से कार्यान्वयन किया जा सके	प्रतिबंधित लागत एवं एकाधिकारिक दृष्टिकोण	तकनीकी नवीनीकरण एवं पारदर्शी उपलब्धी प्रक्रियाओं को जारी रखने में सहायता करना	एमसीए अपेक्षाओं हेतु सर्वोत्तम प्रौद्योगिकी अपनाना
10. मीडिया	एमसीए एवं एमसीए नीतियों एवं विनियमनों के संबंध में आम जनता को सूचना प्रदान करने हेतु महत्वपूर्ण स्रोत	झूठे एवं दोषपूर्ण जानकारी प्रचारित करना	(क) कारपोरेट धोखाधड़ियों के गहन जांच हेतु एमसीए के साथ भागीदारी करना (ख) बेहतर एवं तीव्र सूचना प्रसार	स्वस्थ एवं उत्तरदायी मीडिया कवरेज
11. अन्य विनियामक	धोखाधड़ियों का पता लगाने एवं	सूचना के आदान-प्रदान में	उनकी सांख्यिकी एवं	विनियामक अतिव्याप्ति के क्षेत्रों की पहचान

(सेबी, आरबीआई, आईआरडीए)	निवेशकों के संरक्षण हेतु जानकारी का आदान-प्रदान एवं आपस में मिलकर कार्य करना	विलंब, यदा - कदा नीतियों में परिवर्तन एवं संशोधन। प्रक्रियात्मक लाल फीता शाही एवं तकनीकी अंतराल	रिपोर्ट हेतु एमसीए-21 आंकड़े प्रदान करना विनियामक अतिव्याप्ति के क्षेत्रों की पहचान करना ताकि स्टेकहोल्डर्स हेतु उन कानूनों को सरलीकृत किया जा सके जो दोनों विनियामकों के अंतर्गत है	करना ताकि स्टेकहोल्डर्स हेतु उन कानूनों को सरलीकृत किया जा सके जो दोनों विनियामकों के अंतर्गत है प्रयोक्ताओं हेतु अनुपालन में कमी लाने हेतु एक रिपोर्टिंग मंच तैयार करने में सहायता करना प्रासंगिक आंकड़ों तक उनकी पहुंच बनाना

2ग. हमारी शक्तियां एवं कमजोरियां क्या है?

कारपोरेट कार्य मंत्रालय अपेक्षित रूप से एक नया मंत्रालय है। तथापि, अपने अस्तित्व के पिछले कुछ ही वर्षों में एमसीए ने कई शक्तियों का अनुभव एवं निर्माण किया है। जिसने इस मंत्रालय को एक समान वातावरण तैयार करने में सक्षम बनाया है ताकि भारत में कारपोरेट क्षेत्र में तेजी से वृद्धि हो। उसी प्रकार कुछ कारपोरेट धोखाधड़ियों से संबंधित घटनाओं ने हमें अपनी कमजोरियों को समझने में सक्षम बनाया है जिससे हम पूर्व की घटनाओं से सबक लेकर भविष्य में सुधार कर सकें।

हमने निम्नलिखित मापदंड़ों के संबंध में अपनी शक्तियों एवं कमजोरियों को समझने हेतु एक प्रयोग किया:

- **शक्तियां**
  - *हमें क्यों बनाया गया?*
  - *पूर्व में हमारी सफलता के क्या कारण हैं?*
  - *हमारे अंदर कौन-सी आंतरिक दक्षता एवं ज्ञान है?*
  - *अन्य स्टेकहोल्डर्स हमारे अंदर कौन-सी शक्तियां देखते हैं?*
- **कमजोरियां**
  - *कौन-सी चीजें हमारी आकंक्षाओं को बाधित कर रहे हैं?*
  - *पूर्व में हमारी असफलता के क्या कारण थे?*
  - *हमें कौन-सी अतिरिक्त दक्षता एवं ज्ञान की आवश्यकता है?*
  - *अन्य लोग हम में कौन-सी कमजोरियां देखते हैं?*

हमारी शक्तियों एवं कमजोरियों का पता लगाने हेतु प्रयोग किया गया ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि हम आंतरिक एवं बाह्य बाधाओं को पार करते हुए हमारी दक्षताओं, ज्ञान एवं शक्तियों का निर्माण एवं वृद्धि कर सकें।

हमारी शक्तियां एवं कमजोरियां निम्नलिखित तालिका में संक्षेप में दी गई हैं:

शक्तियां	**कमजोरियां**
हमें क्यों बनाया गया? (क) कारपोरेट कानूनों एवं विनियमों हेतु	*कौन-सी चीजें हमारी आकांक्षाओं को बाधित कर* रही हैं?

प्रगतिशील दृष्टिकोण। (ख) नई योजनाओं एवं तकनीकी परिवर्तनों के लिए खुला होना। (ग) पारदर्शी संचालन, एमसीए-21 के द्वारा ऑनलाइन सेवा आपूर्ति। (घ) एमसीए के कारपोरेट स्टेकहोल्डर की आकांक्षाओं की अच्छी समझ। (ङ) शिक्षित स्टेकहोल्डर्स (च) पूरे देश में अच्छी पहुंच।	(क) निष्प्रभावी कानून जो कारपोरेट धोखाधड़ियों के विरूद्ध सख्ती से कार्रवाई नहीं कर रही है। (ख) स्टेकोहल्डर्स द्वारा बड़ी संख्या में गैर-संचालित कंपनियों का सृजन (ग) कंपनियों/व्यावसायिकों में नैतिकता का निम्न स्तर। (घ) प्रारंभिक अधिनियम पुराना है जिसमें उभरते वातावरण के मद्देनजर त्वरित परिवर्तन की आवश्यकता है।
पूर्व में हमारी सफलता के क्या कारण थे? (क) पूर्ण स्थापित एवं परिपक्व कारपोरेट कानून। (ख) ई-गवर्नेंस पहलों में अग्रणी। (ग) इस क्षेत्र में परिपक्व व्यावसायिक संस्थानों की उपस्थिति।	*पूर्व में हमारी असफलता के क्या कारण थे?* (क) पूर्ण अनुपालन में अंतराल । (ख) महत्वपूर्ण कंपनी सूचना तक पहुंच में कमी। (ग) व्यावसायिक संस्थानों में निम्न अनुशासनात्मक प्रणाली।
हम में कौन-सी आंतरिक दक्षता एवं ज्ञान हैं? (क) कारपोरेट कानून विनियम एवं नीति । (ख) ई-गवर्नेंस कार्यान्वयन सहयोग दल।	*हमें कौन-सी अतिरिक्त दक्षता एवं ज्ञान की आवश्यकता है?* (क) अंतर्राष्ट्रीय कारपोरेट कानून से संबंधित सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाना। (ख) प्रौद्योगिकी एवं वातावरण संबंधी मुद्दों में उच्च स्तर प्राप्त करना।
अन्य स्टेकहोल्डर हम में कौन-सी शक्तियां देखते है? (क) देश में एक मात्र संपूर्ण एवं भरोसेमंद कंपनियों के आंकड़ों का बृहत निक्षेपागार।	*अन्य लोग हम में कौन-सी कमजोरियां देखते हैं?* (क) कारपोरेट धोखाधड़ी में संलिप्त कंपनियों एवं व्यक्तियों का पता लगाने एवं दंडित करने में अक्षम।

2घ. भविष्य के लिए सीखना?

इसकी पहचान कर लेने पर कि हमारे स्टेकहोल्डर्स कौन हैं, उनकी चिंताएं क्या है तथा अपनी शक्तियों एवं कमजोरियों की पहचान कर लेने के बाद नीतिगत योजना का अगला चरण इस बात को विस्तृत रूप से जानना है कि मंत्रालय के लिए जानकारी की कार्यसूची क्या होनी चाहिए। इस जानकारी की कार्य सूची को दो भागों में वर्गित किया जा सकता है - अतिमहत्वपूर्ण कार्यसूची तथा आवश्यक कार्यसूची।

अतिमहत्वपूर्ण कार्यसूची, जैसा कि दिशा-निर्देशों में दिया गया है, हमारे कार्यकरण का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है जहां स्टेकहोल्डर की आशाओं तथा ज्ञान के आंतरिक वांछनीय स्तर के बीच आधारभूत अंतराल है। आवश्यक कार्यसूची वह है जहां हमारे पास सक्षमता है एवं हमारे पास आगे और सुधार हेतु संभावनाएं हैं।

जानकारी की कार्यसूची	
अतिमहत्वपूर्ण कार्यसूची	**आवश्यक**
(क) अंतर्राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रथाओं एवं मानकों के साथ चलना (ख) कारोबार में सुगमता से वैश्विक दर्जे में सुधार लाना (ग) कारोबार को कैसे जल्दी एवं प्रभावपूर्ण तरीके से बंद किया जाए। (घ) कारपोरेट धोखाधड़ियों आदि के विरूद्ध कानूनी बचाव मार्गों को कैसे बंद किया जाए आदि। (ङ) कंपनी रजिस्ट्रारों द्वारा विभिन्न सेवाओं हेतु आवेदनों के निपटारे में एकरूपता एवं संगतता (च) धोखाधड़ियों का पता लगाने एवं उससे संबंधित रिपोर्ट देने हेतु कैसे एक सहयोगी वातावरण का सृजन कर सकते हैं।	(क) हमारे प्रशासनिक ढांचे में सुधार लाना (ख) स्टेकहोल्डर की शिकायतों हेतु प्रतिक्रिया प्रणाली में सुधार लाना (ग) क्षेत्रीय कार्यालय के संपूर्ण परिवर्तन प्रबंधन के माध्यम से सेवा आपूर्ति में सुधार, विशेषकर शासकीय समापक कार्यालयों में; जिसमें आईटी स्वीकरण तथा एकीकरण शामिल हैं (घ) मंत्रालय के पहलों का प्रभाव मूल्यांकन/समवर्ती मूल्यांकन।

खंड 3: एमसीए नीति की रूपरेखा (मूल्यांकन चरण खंड 2, का अनुवर्ती)

3क. संभाव्य नीतियां

नीतिगत योजना को अंतिम रूप देने हेतु अगला कदम कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा संभाव्य नीतियों का चयन करना तथा नए पहल करना है। यह चयन एमसीए की चिह्नित शक्तियों एवं कमजोरियों के अनुरूप है। नीति की रूप-रेखा में मंत्रालय में उपलब्ध अवसरों को ध्यान में रखा गया है तथा इसमें 12वीं पंचवर्षीय योजना के कार्यान्वयन चरण के दौरान संभावित आशंकाओं को भी ध्यान में रखा गया है।

इन नीतियों को निम्नानुसार मुख्य वर्गों में वर्गीकृत किया गया है:-

- **राजनैतिक**
- **कानूनी**
- **सामाजिक - आर्थिक**
- **वातावरण संबंधी**
- **तकनीक संबंधी**
- **मानवशक्ति एवं प्रशिक्षण (परिवर्तन प्रबंधन) संबंधी**

बाह्य शक्तियों एवं आंतरिक क्षमताओं के विश्लेषण के साथ-साथ मंत्रालय की शक्तियों एवं कमजोरियों के आधार पर, संबंधित संभावित नीतियों को निम्नलिखित तालिका में दर्शाया गया हैं:-

चिह्नित शक्तियां (अवसर)	चिह्नित कमजोरियां (आशंकाएं)	
राजनैतिक		***संबंधित संभावित नीति***
सशक्त राजनैतिक वचनबद्धता हेतु समावेशी कारपोरेट वृद्धि। सशक्त एवं स्थिर केन्द्र सरकार परिवर्तन एवं सुधार लाने में सक्षम होती है।		अति-सक्रिय राजनैतिक अग्रणियों को लक्ष्य निर्धारण में शामिल करना, सहमति बनाना तथा जटिल मुद्दों के प्रबंधन में परिवर्तन लाना

कानूनी		
उदारीकरण के पश्चात् कारपोरेट क्षेत्र में वृद्धि हेतु अत्यधिक संभावनाएं सुधारों हेतु बाजार आगे आ रहे हैं।	अत्यधिक विनियमन से कारोबार को बाधा पहुंच सकती है जबकि कम विनियमनों से घोटालों की संभावना रहती है। कानूनी प्रक्रिया सुस्त एवं बोझिल	कंपनी अधिनियम, 1956 का व्यापक पुनरीक्षण ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि मामलों के निपटारे में न्यूनतम बाधाएं आएं, जिसे कानून से बचाव के तरीकों को रोकने के द्वारा किया जा सकता है। विधान को सरलीकृत करना तथा परिपत्रों/दिशा-निर्देशों/निर्देशों/अधिसूचनाओं (मास्टर परिपत्र) का एक सेट बनवाना जिसे नियमित अंतराल पर अद्यतन किया जा सके। विनियामक अतिव्याप्ति के क्षेत्रों की पहचान करना, उदाहरणस्वरूप, सेबी, आरबीआई के साथ; तथा इसे समरूप करना अंतर्विभागीय विचार-विमर्शों हेतु प्रणाली में सुधार करना 'सिंगल विंडो' के द्वारा कारोबार संबंधी अनापत्ति देने हेतु एमसीए को एक सक्रिय भूमिका निभानी होगी। घोटाले को रोकने हेतु प्रभावी प्रतिवारक उपाय की शुरुआत करना। मंत्रालय के लिए एक संकट प्रबंधन योजना (मानक संचालन प्रक्रियाओं सहित) विकसित करना ताकि

		कारपोरेट धोखाधड़ियों से संबंधित कार्रवाई की जा सके।
सामाजिक-आर्थिक		
सरकारी अधिकारियों, राजनैतिक नेताओं तथा आम जनता एवं स्टेकहोल्डर्स के बीच "स्थिर व्यापार" तथा "समावेशी विकास" के संबंध में जागरूकता में वृद्धि। मीडिया एवं सामाजिक दलों द्वारा भागीदारी में वृद्धि जिससे विकास संबंधी धीमी गति को नोटिस में लाया जा रहा है।	कारपोरेट विकास पर्याप्त समावेशी नहीं जनसंख्या का एक भाग कारपोरेट विकास के साथ समेकित नहीं	कारपोरेट गवर्नेंस से संबंधित स्वैच्छिक दिशा-निर्देशों को प्रस्तुत करना, पुनरावलोकन करना एवं पुनरीक्षा करना विकसित देशों में अपनाए गए सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप कारपोरेट नैतिकता हेतु कोड का विकास करना महत्वपूर्ण विनियमनों जिन्हें समावेशी विकास हेतु अद्यतन करना आवश्यक है, के संबंध में व्यावसायिक, व्यावसायियों तथा अधिकारियों के साथ राष्ट्रीय कार्यशालाओं के माध्यम से सहमति प्राप्त करना
वातावरण संबंधी		
वातावरण संबंधी चिन्ताओं की ओर कारपोरेट क्षेत्र का ध्यान आकर्षित करना प्रबुद्ध विनियमन सुस्थिर व्यापार का सृजन कर सकते हैं	सामाजिक तौर पर गैर-समावेशी परियोजनाएं सामने आ रही हैं वातावरण संबंधी क्षति को छुपाने में कारपोरेट की रुचि कारपोरेट विकास को वातावरण संबंधी अस्थिरता के रूप में देखा गया है	कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के संबंध में स्वैच्छिक दिशा-निर्देशों को प्रस्तुत करना, उनका पुनरावलोकन करना एवं उन्हें पुनरीक्षित करना, महत्वपूर्ण विनियमनों जिन्हें समावेशी विकास हेतु अद्यतन करना आवश्यक है, के संबंध में व्यावसायिक, व्यावसायियों तथा अधिकारियों के साथ राष्ट्रीय कार्यशालाओं के माध्यम से सहमति प्राप्त करना

		वातावरण संबंधी विषयों का ख्याल रखने से से एक बेहतर कारपोरेट ब्रांड का सृजन होता है। लागत में हुए खर्च की क्षतिपूर्ति हेतु "ग्रीन बैंड्स" को सहायता देना। कंपनी को चिह्नित करने हेतु ऊर्जा उपयोग को एक मापदंड बनाना। कंपनी द्वारा वातावरण संवेदी रूप को दर्शाने हेतु कलर कोडिंग प्रणाली बनाना।
तकनीकी संबंधी		
कारपोरेट विकास में प्रौद्योगिकी एक भागीदार है प्रतिस्पर्धा एवं उदारीकरण से नई तकनीक के लागत में कमी आई है	प्रौद्योगिकी बहुत जल्द पुरानी हो जाती है एवं यह एक आवर्ती लागत है। मौजूदा एमसीए-21 संरचना में कंपनियों से संबंधित एमसीए आंकड़ों का पूर्ण उपयोग नहीं किया जाता है।	आईटी के माध्यम से निगरानी एवं अनुपालन प्रणाली में सुधार लाना। अद्यतन मापदंडों जैसे एक्सबीआरएल के द्वारा तकनीक को अद्यतन करना ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि कंपनी से संबंधित सूचना मंत्रालय द्वारा प्रभावी रूप से रिकार्ड एवं ट्रेक की जाती हो। सभी प्रकार की तकनीकी मुद्दों के समाधान हेतु एमसीए हेतु एक एसपीवी का निर्माण करना तथा नए मूल्य संवर्धित सेवाओं का विकास करना। कारपोरेट डाटाबेस के उपयोग हेतु केन्द्रित दृष्टिकोण रखना एवं स्रोतों का मौद्रीकरण करना
मानवशक्ति मुद्दे (परिवर्तन प्रबंधन)		
भारत में शिक्षित योग्य एवं गतिशील जनसंख्या की	सरकारी संरचना की परंपरागत कमजोरी जैसे	मानव शक्ति जिसमें अधिकारी एवं कर्मचारी शामिल हैं को एमसीए

उपलब्धता	मानव शक्ति के नैतिक स्तर का निम्न होना जो प्रक्रियाओं एवं तकनीक में परिवर्तन का विरोधी है	द्वारा अपनाए गए अद्यतन तकनीक में प्रशिक्षित करना। पूरे वर्ष के दौरान प्रशिक्षण कार्यक्रम। क्षेत्रीय अधिकारियों को कंपनी विधि में प्रशिक्षण ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि संपूर्ण देश में आवेदनों के निपटारे में एकरूपता एवं संगतता हो। तकनीक के प्रयोग से समापन की प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी त्वरित एवं प्रभावी बनाने के द्वारा शासकीय समापक के कार्यालयों के कार्यों को अद्यतन करना, जैसा कि एमसीए-21 के माध्यम से एमसीए के कार्यकरण को सुदृढ़ करने हेतु किया गया था। परिवर्तन प्रबंधन के अग्रणियों को चिह्नित करना अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं, जिसमें कारपोरेट धोखाधड़ियों को रोकने के लिए, नीतियां, प्रक्रियाएं एवं साधन है, का व्यापक अध्ययन ।

3ख. शेयरधारकों को किस प्रकार भागीदार बनाया जाएगा?

एक बार रणनीतिक योजना बन जाने के उपरांत इसे भी कार्यान्वित किया जाएगा। इसलिए योजना स्तर पर ही यह आवश्यक है कि शेयर धारकों को भागीदार बनाने के लिए उठाएं जाने वाले क़दमों के बारे में जागरूकता होनी चाहिए। इस भागीदारी की एक सतर्क प्रक्रिया के रूप में योजना बनाई जाए और नीचे दिए गए तरीके से इसकी अवसंरचना बनाई जाए (चिह्नित शेयर धारकों को भागीदार बनाने के लिए वृहत अवसंरचना में निम्नलिखित शामिल हैं- उनसे क्या प्रश्न पूछे जाने है, उनसे संवाद का माध्यम क्या होना चाहिए, यह संवाद कब किया जाना चाहिए और इस संवाद को करने के लिए कौन उत्तरदायी होगा):

स्टेकहोल्डर्स (2बी से)	प्रश्न जो जरूर पूछे जाने चाहिए	परिचर्चा का माध्यम	कब	जिम्मेवार व्यक्ति या संस्था
1. व्यापारिक संगठन	यह किस प्रकार सुनिश्चित होगा कि मंत्रालय अपने सभी प्रमुख पहलों में कारपोरेट क्षेत्र को प्रभावी रूप से शामिल करें	सेमीनार, कार्यशालाएं, बैठकें	नियमित अंतराल पर, कोशिश की जाती है कि महीने में एक आयोजन अवश्य हो (प्रति वर्ष 'भारत कारपोरेट सप्ताह' के दौरान विशेष प्रयास किए जाते हैं)	व्यवसाय मंडलों एवं व्यावसायिक संस्थानों के साथ भागीदारी में मंत्रालय द्वारा
2. व्यावसायिक/ संस्थान और निकाय	यह किस प्रकार सुनिश्चित होगा कि मंत्रालय अपने सभी प्रमुख पहलों में कारपोरेट क्षेत्र को प्रभावी रूप से शामिल करें	सेमीनार, कार्यशालाएं, बैठकें	नियमित अंतराल पर, कोशिश की जाती है कि महीने में एक आयोजन अवश्य हो (प्रति वर्ष 'भारत कारपोरेट सप्ताह' के दौरान विशेष प्रयास किए जाते हैं)	व्यवसाय मंडलों एवं व्यावसायिक संस्थानों के साथ भागीदारी में मंत्रालय द्वारा
3. क्षेत्रीय कार्यालय	मंत्रालय द्वारा कारपोरेट क्षेत्र की	बैठकें, वीडियो कॉन्फ्रेंस, टेली	दैनिक आधार पर नियमित रूप से	मंत्रालय (मुख्यालय) एवं

(अधिकारी और कर्मचारी)	चिन्ताओं का निवारण किस प्रकार सुनिश्चित होगा	कॉन्फ्रेंस एवं ई-मेले द्वारा नियमित आदान-प्रदान	(कम से कम ई-मेल एवं दूरभाष द्वारा)	क्षेत्रीय कार्यालयों के बीच संवाद
4. निवेशक	मंत्रालय द्वारा निवेशकों की चिंताओं का निवारण किस प्रकार सुनिश्चित होगा	सेमीनार, कार्यशालाएं, वेबसाइट एवं सूचना पुस्तिकाओं के माध्यम से सूचना का प्रसारण	प्रायः ही, प्रति वर्ष 'भारत निवेशक सप्ताह' के दौरान विशेष ड्राइव चलाया जाता है	मंत्रालय
5. बैंक	क्या मंत्रालय एवं बैंकों के बीच भागीदारी (विशेष कर एमसीए-21 में) आम आदमी, बैंकों एवं मंत्रालय के लिए लाभकारी है? लेन-देन प्रक्रिया में सुधार के लिए क्या उपाय किए जा सकते है?	बैठकें, ई-मेल और दूरभाष	नियमित बैठकें, आमतौर पर महीने में एक बार एवं ई-मेल तथा दूरभाष द्वारा प्रतिदिन फीड-बैक	मंत्रालय एवं बैंकों के बीच आपसी संवाद
6. अन्य सरकारी मंत्रालय/विभाग	यह किस प्रकार सुनिश्चित होगा कि अन्य मंत्रालय एवं विभाग कारपोरेट कार्य मंत्रालय की पहलों का समर्थन करें? कारपोरेट कार्य मंत्रालय अन्य	संबंधित विभागों के संबंधित अधिकारियों के मध्य एकल बैठकें; जो आवश्यकता पड़ने पर उच्चतर स्तर पर भी होती है संबंधित विभागों के संबंधित	जब और जैसे अपेक्षित हो आपसी सुविधा के अनुसार जब और	कारपोरेट कार्य मंत्रालय संबंधित मंत्रालय और कारपोरेट

	मंत्रालयों एवं विभागों की पहलों का किस प्रकार समर्थन करेगा एवं मदद करेगा?	अधिकारियों के मध्य एकल बैठकें; जो आवश्यकता पड़ने पर उच्चतर स्तर पर भी होती है	जैसे अपेक्षित हो	कार्य मंत्रालय के मध्य आपसी संवाद
7. राज्य सरकारें (स्टांप शुल्क आदि)	शेयरधारकों को उच्च गुणवत्तापूर्ण सेवाएं प्रदान करने में राज्य कारपोरेट कार्य मंत्रालय की किस प्रकार सहायता कर सकते हैं? कारपोरेट कार्य मंत्रालय किस प्रकार राजस्व निःसरण को बंद एवं राज्यों के स्टांप शुल्क संकलन में सुधार करेगा	बैठकें, ई-मेल और दूरभाष पर विचार-विमर्श	जब और जैसे अपेक्षित हो (प्रत्येक तिमाही में कम से कम एक बार)	संबंधित मंत्रालय और कारपोरेट कार्य मंत्रालय के मध्य आपसी संवाद
8. एमसीए-21 संचालन	शेयरधारकों के उच्च गुणता की सेवाएं देना जारी रखना सुनिश्चित करने में ऑपरेटर किस प्रकार कारपोरेट कार्य मंत्रालय की सहायता कर सकता है	बैठकें, टेली कॉन्फ्रेंस, ई-मेल और दूरभाष पर विचार-विमर्श और परियोजना पर्यवेक्षण एकक	सप्ताह में कम से कम दो बैठकें, ई-मेल एवं दूरभाष द्वारा लगातार संवाद	ऑपरेटर और कारपोरेट कार्य मंत्रालय के बीच आपसी संवाद; पीएमयू अधिकांश संवादों में शामिल है
9. प्रौद्योगिकी	कारपोरेट कार्य	विचार-विमर्श,	जब और जैसे	आमतौर पर

निर्माता तथा आर एवं डी नव प्रवर्तक	मंत्रालय किस प्रकार शेयरधारकों को सेवाएं प्रदान करने में कटिंग - एज तकनीकी का प्रयोग कर सकता है? किस प्रकार तकनीकी को भारतीय व्यावसायिक अपेक्षाओं से जोड़ा जा सकता है?	कार्यशालाएं और ई-मेल और समय-समय पर बैठकें	कोई नई तकनीक शुरू की जाती है	अनुसंधान एवं विकास कर्ता द्वारा मंत्रालय से संपर्क किया जाता है; मंत्रालय तदनुसार ही कार्य करता है
10. मीडिया	मीडिया किस प्रकार कारपोरेट क्षेत्र, निवेशकों एवं आम जनता तक सुविचारित कारपोरेट विनियमों के बारे में सही सूचना प्रचारित कर सकता है।	विज्ञापन, प्रेस ब्रीफिंग, प्रेस कॉन्फ्रेंस, साक्षात्कार, कारपोरेट कार्य मंत्रालय की वेबसाइट पर अद्यतन सामग्री एवं अन्य सूचनाएं	भारत निवेशक सप्ताह एवं भारत कारपोरेट सप्ताह के दौरान विशेष ड्राइव के साथ प्रत्येक तिमाही में कम से कम एक बार।	आमतौर पर मीडिया कारपोरेट कार्य मंत्रालय से संपर्क करता है; जब भी किसी नई पहल की घोषणा की जानी होती है तो नियमित प्रेस ब्रीफिंग दी जाती है।

3ग. हमारी जानकारी और क्षमता का विस्तार कैसे होगा?

हमें क्या सीखना है? (2डी से)	हम कहां से और कैसे सीख सकते हैं?	इसका आयोजन कौन करेगा?	कौन उत्तरदायी होगा?
(क) अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रथाओं और मानकों के साथ सामंजस्य (ख) सुगम व्यापार के लिए विश्व रैंकिंग में सुधार (ग) व्यापार के शीघ्र और प्रभावी ढंग से कैसे समाप्त किया जाए - अंतर्राष्ट्रीय अनुभव से समझना	प्रख्यात अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय संस्थाएं जैसे प्रमुख उद्योग संघ, व्यावसायिक संस्थान और स्वायत्त निकाय यथा ओईसीडी, जीआरआई, जीटीजेड, एनएसई, बीएसई और एमसीएक्सएसएक्स आदि।	मंत्रालय द्वारा भारतीय कारपोरेट कार्य संस्थान (आईआईसीए) के माध्यम से इस प्रकार के अनेक आदान-प्रदान कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है; कई वार इस प्रकार के संगठन अपने समारोह में भाग लेने के लिए मंत्रालय को भी आमंत्रित करते है।	मंत्रालय और स्वायत्त संस्थाओं के बीच परस्पर संवाद
(घ) कारपोरेट धोखाधड़ी के विरूद्ध कानूनी अवरोधों को कैसे दूर किया जाए। (ङ) कंपनी रजिस्ट्रार कार्यालयों में विभिन्न सेवाओं के लिए आवेदनों के निपटान में एकरूपता और	प्रमुख व्यापार संघ और व्यावसायिक संस्थान सेवा सुपुर्दगी में सुधार के लिए मंत्रालय के अपने अधिकारियों से प्राप्त सूचना महत्वपूर्ण है।	मंत्रालय द्वारा प्रमुख व्यापार संघों और व्यावसायिक संस्थानों के सहयोग के कार्यशालाओं और सेमीनारों का आयोजन किया जाता है। राष्ट्रीय स्तर पर वर्ष में दो बार कंपनी रजिस्ट्रार और प्रादेशिक निदेशक सम्मेलन का आयोजन किया जाए; क्षेत्रीय सम्मेलन तिमाही में कम से कम एक बार आयोजित किए जाए।	मंत्रालय और मुख्य व्यापार संघों एवं व्यावसायिक संस्थानों के बीच परस्पर संवाद। मंत्रालय (एमसीए)

निरंतरता।			
(च) अपनी प्रशासनिक संरचना में सुधार (छ) शेयरधारकों की शिकायतों के लिए उत्तर तंत्र में सुधार	सेवा सुपुर्दगी में सुधार के लिए मंत्रालय के अपने अधिकारियों से प्राप्त सूचना महत्वपूर्ण है।	राष्ट्रीय स्तर पर वर्ष में दो बार कंपनी रजिस्ट्रार और प्रादेशिक निदेशक सम्मेलन का आयोजन किया जाए; क्षेत्रीय सम्मेलन तिमाही में कम से कम एक बार आयोजित किए जाए।	मंत्रालय (एमसीए)
(ज) फील्ड कार्यालयों, विशेषकर शासकीय समापक कार्यालयों में प्रबंधन में पूर्ण परिवर्तन करके सेवा सुपुर्दगी में सुधार और आईटी स्वीकृति एवं एकीकरण	शेयरधारकों और व्यापार संघों व व्यावसायिक संस्थानों जैसे संगठित निकायों से संबंधित जानकारी और शिकायतें प्राप्त करना	प्रमुख व्यापार संघों और व्यावसायिक संस्थानों के सहयोग के कार्यशालाओं और सेमीनारों का आयोजन किया जाता है।	मंत्रालय और मुख्य व्यापार संघों एवं व्यावसायिक संस्थानों के बीच परस्पर संवाद।
(झ) मंत्रालय के प्रयासों का प्रभाव मूल्यांकन/संवर्ती मूल्यांकन	एमसीए-21 के लिए कार्यक्रम लेखा परीक्षा/प्रभाव मूल्यांकन पहले से विद्यमान है, अन्य एमसीए प्रयासों के लिए इसी प्रकार की संरचना अपेक्षित है।	एमसीए द्वारा इस प्रकार के प्रभाव मूल्यांकन और लेखापरीक्षा की व्यवस्था की जाए।	मंत्रालय (एमसीए)

3घ. प्राथमिकताएं क्या है?

मंत्रालय की प्राथमिकताओं की पहचान करना

प्रमुख अंशधारकों एवं मंत्रालय के समक्ष उपस्थित मुद्दों तथा इन मुद्दों को सुलझाने हेतु किए गए सर्वाधिक उपयुक्त पहलों की पहचान के पश्चात् हमें मंत्रालय की प्राथमिकता क्षेत्रों की सूची तैयार करने और उन्हें अपेक्षित महत्व देने की आवश्यकता है। इससे हमें मंत्रालय की अगले कुछ आरएफडी दस्तावेजों की पहचान करने में मदद मिलेगी क्योंकि आरएफडी में हमसे यह उम्मीद की जाती है कि हम मंत्रालय के दस्तावेजों के प्रमुख क्षेत्रों की प्राथमिकताएं तय करें एवं उन्हें उपयुक्त महत्व प्रदान करें।

प्राथमिकता तय करने का यह कार्य विभिन्न मानकों पर आधारित होता है जिसमें **उपयुक्तता** (प्रभावोत्पादकता एवं प्रभाव), **संभाव्यता** (कार्यान्वयन में आसानी) एवं **स्वीकार्यता** (अंशधारकों द्वारा)। **प्राथमिकता तय करने का यह कार्य 12वीं योजना के उद्देश्यों के अनुरूप है।**

माप: प्रत्येक ब्लॉक में 1 से 5 तक

पहल/महत्व की पहचान:	**उपयुक्तता (प्रभावकारिता एवं प्रभाव)**	**व्यवहार्यता (कार्यान्वयन में आसानी)**	**(शेयर धारकों द्वारा) स्वीकार्यता**	**समग्र प्राथमिकता**
विधायी: विवेक पूर्ण विनियमन **(महत्व: 25%)**	5	4	3	4
सामाजिक-आर्थिक: कारपोरेट शासन मानकों को सुधारना और समग्र विकास की ओर अग्रसर होना **(महत्व: 20%)**	5	4	4	4.33
पर्यावर्णीय: कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व मानकों में सुधार और सुस्थिर व्यापार की ओर अग्रसर होना **(महत्व: 15%)**	4	4	3	4.67

तकनीक संबंधी: प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके नागरिकों को उच्च गुणवत्ता सेवाएं प्रदान करना **(महत्व: 20%)**	5	5	4	4.67
श्रमशक्ति मुद्दे: निर्णय लेने में जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित करना **(महत्व: 15%)**	5	3	3	3.67
राजीनितक: एमसीए के प्रयासों सक्रिय राजनैतिक नेतृत्व को शामिल करना **(महत्व: 5%)**	5	4	5	4.67

खंड 4: क्रियान्वयन योजना

(i) कार्यनीति संबंधी पहल

राजनीतिक

- लक्ष्य परिवर्तन, मतैक्य निर्माण तथा जटिल मुद्दों के परिवर्तित प्रबंधन में व्यवहार्य राजनीतिक नेतृत्व को शामिल करना।

विधिक

- यह सुनिश्चित करने के लिए कि मामलों को उनके बचाव के रास्तों को बंद करते हुए शीघ्र निपटाने में अल्प बाधाएं हैं, कंपनी अधिनियम, 1956 की वृहत समीक्षा।
- घोटालों को रोकने के लिए (उदाहरणार्थ एक्सबीआरएल जैसी नई प्रौद्योगिकी के प्रयोग के माध्य से) प्रभावी निवारक उपाय प्रवर्तित करना।

सामाजिक - आर्थिक

- कारपोरेट नियंत्रण संबंधी स्वैच्छिक दिशा-निर्देश प्रवर्तित करना, उनकी समीक्षा करना तथा उन्हें संशोधित करना।
- अत्यावश्यक नियमावली जो आवश्यक है अथवा सम्मिलित संवृद्धि को सुनिश्चित करने की दृष्टि से जिसे अद्यतन किए जाने की आवश्यकता है, पर व्यवसाय, व्यावसायिकों तथा अधिकारियों के साथ राष्ट्रीय कार्यशालाओं के माध्यम से मतैक्य तैयार करना।

पर्यावरणीय

- कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व संबंधी स्वैच्छिक दिशा-निर्देशों को प्रवर्तित करना, उनकी समीक्षा करना तथा संशोधित करना।
- अत्यावश्यक विनियमावली जो आवश्यक है अथवा धारणीय व्यवसाय को सुनिश्चित करने की दृष्टि से जिसे अद्यतन किए जाने की आवश्यकता है, पर व्यवसाय, व्यावसायिकों तथा अधिकारियों के साथ राष्ट्रीय कार्यशालाओं के माध्यम से मतैक्य तैयार करना।
- पर्यावरणीय संस्था एक बेहतर कारपोरेट ब्रांड को सृजित करने में सहायता प्रदान करती है। व्यय किए गए भाग की लागत की क्षतिपूर्ति करने के लिए "ग्रीन-ब्रांड्स" को प्रोत्साहन उपलब्ध कराना। ऊर्जा प्रयोग कंपनी के अभिनिर्धारण का मानदंड बने। कंपनियों को कलर-कोडिंग करने की प्रणाली तैयार करना ताकि उनकी पर्यावरणीय अस्थिरता प्रतिबिंबित हो सके।

प्रौद्योगिकी से संबद्ध

- सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से तंत्र की मानीटरिंग तथा अनुपालन में सुधार करना। यह सुनिश्चित करने के लिए कि कंपनी की सूचना का मंत्रालय द्वारा पिछला कार्य-निष्पादन रिकार्ड प्रभावी रूप से रखा जा रहा है, एक्सबीआरएल जैसे अद्यतन उपायों के साथ प्रौद्योगिकी को अद्यतन बनाना।
- सभी प्रौद्योगिकी संबंधी मुद्दों पर कार्रवाई करने के लिए एमसीए के लिए क एसपीवी तैयार करना, एमसीए कंपनी डाटा के कारगर तथा उत्पादक प्रयोग के लिए एक कार्य नीति तैयार करना तथा नई मूल्य-वर्धित सेवाएं विकसित करना।

जनशक्ति संबंधी मुद्दे (परिवर्तित प्रबंधन)

- अधिकारियों तथा स्टाफ सहित जनशक्ति को एससीए द्वारा अपनाई जा रही अद्यतन प्रौद्योगिकी में प्रशिक्षित करना, पूरे वर्ष प्रशिक्षण पाठ्यक्रम चलाना देश से बाहर के आवेदनों को निपटाने में एकरूपता तथा सामंजस्य सुनिश्चित करने के लिए फील्ड-अधिकारियों को कंपनी विधि (कंपनी लॉ) में प्रशिक्षित करना।
- उस प्रौद्योगिकी जो एमसीए-21 के माध्यम से एमसीए के कार्यकरण को सुदृढ़ करने के लिए प्रयुक्त की गई थी का तीव्र तथा कारगर परिसमापन प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाते हुए अधिकारिक-समापक के कार्यालय के कार्यकरण को अद्यतन बनाना।
- परिवर्तित प्रबंधन के नेतृत्व का पता लगाना।
- कारपोरेट के धोखों पर नियंत्रण करने के लिए नीतियों, प्रक्रियाओं तथा दस्तावेजों सहित अंतर्राष्ट्रीय उत्तम प्रणाली का विस्तृत अध्ययन।

(ii) स्टेकहोलडर की नियुक्ति : कौन, कब और कैसे?

कौन?	कब?	कैसे?
1. व्यवसाय संगठन	नियमित अंतरालों पर, अधिमान्यतः प्रत्येक माह एक बार (प्रत्येक वर्ष "भारतीय कारपोरेट सप्ताह" के दौरान विशेष अभियान के साथ)	मंत्रालय द्वारा व्यवसाय चैम्बरों और व्यावसायिक संस्थाओं के साथ साझेदारी में आयोजित किए गए सेमिनारों, कार्यशालाओं तथा बैठकों के माध्य से
2. व्यवासायिक (कों)/संस्थान और निकाय	नियमित अंतरालों पर, अधिमान्यतः प्रत्येक माह एक बार (प्रत्येक वर्ष "भारत कारपोरेट सप्ताह" के दौरान विशेष अभियान के साथ)	मंत्रालय द्वारा व्यवसाय चैम्बरों तथा व्यावसायिक संस्थाओं के साथ साझेदारी में सेमिनारों, कार्यशालाओं, बैठकों तथा सर्वेक्षणों के माध्यम से

3. फील्ड स्तरीय कार्यालय (अधिकारी तथा स्टाफ)	नियमित रूप से दैनिक आधार पर (कम से कम ई-मेल था फोन पर)	बैठकों, वीडियों-कांफ्रेंस, टेली-कांफ्रेंस और ई-मेल द्वारा नियमित विनियम के माध्यम से मंत्रालय (मुख्यालय) तथा फील्ड-कार्यालयों के बीच दुतरफा संप्रेषण
4. निवेशक	प्रत्येक वर्ष "भारत निवेशक सप्ताह" के दौरान विशेष अभियान के साथ समय-समय पर	मंत्रालय द्वारा आयोजित सेमिनारों, कार्यशालाओं वेबसाइट के माध्यम से सूचना के प्रचार-प्रसार तथा विवरणिकाओं के माध्यम से
5. बैंक	सामान्यतः महीने में एक बार नियमित बैठकों तथा ई-मेल और फोन द्वारा प्रति-पुष्टि।	बैठकों, ई-मेल तथा मंत्रालय तथा बैंकों के बीच दुतरफा संप्रेषण के माध्यम से
6. सरकार के अन्य मंत्रालय/ विभाग	आपसी सुविधाओं के अनुसार जब भी अपेक्षित हो	संबंधित विभागों में संबंधित अधिकारियों के बीच एक बैठक में एक के माध्यम से, एमसीए अथवा संबंधित मंत्रालय/विभाग द्वारा समन्वित आवश्यकता आधार पर उच्च स्तर पर वृद्धि
7. राज्य सरकारें (स्टांप शुल्क आदि)	जब कभी अपेक्षित हो (एक तिमाही में एक बार)	संबंधित राज्य और एमसीए के बीच बैठकों, ई-मेल तथा दुतरफा संप्रेषण में टेलीफोन पर चर्चा के माध्यम से
8. एमसीए-21 आपरेटर	सप्ताह में कम से कम दो बार बैठक, ई-मेल तथा फोन द्वार सतत संप्रेषण	आपरेटर तथा एमसीए के बीच बैठकों, टेली-कांफ्रेंस, ई-मेल और टेलीफोन पर चर्चा तथा दुतरफा संप्रेषण में प्रोजेक्ट मॉनीटरिंग यूनिट के माध्यम से भी, पीएमयू अधिकांश संप्रेषणों में शामिल है
9. प्रौद्योगिकी निर्माता तथा आरएण्डडी प्रवर्तक	जब कभी भी नई प्रौद्योगिकी आरंभ की जाती है अथवा आरंभ की जा रही हो	चर्चाओं, कार्यशालाओं तथा ई-मेल तथा सामयिक बैठकों जिनमें सामान्यतयः आरएण्डडी प्रवर्तकों द्वारा मंत्रालय से संपर्क किया जाता है के माध्यम से, मंत्रालय उन पर कार्रवाई करता है
10. मीडिया	"भारत निवेशक सप्ताह" तथा "भारत कारपोरेट सप्ताह" जैसे अवसरों के दौरान विशेष अभियान के साथ कम से कम	विज्ञापनों, प्रेस-संक्षिप्तियों, प्रेस-कांफ्रेंस, साक्षात्कार, एमसीए वेबसाइट पर अद्यतन जानकारी तथा अन्य विषय जिनके संबंध में मीडिया सामान्यतयः एमसीए से संपर्क

	तिमाही में एक बार	करता है, जब कभी नई पहलशक्ति की घोषणा की जाती है तो मंत्रालय द्वारा प्रेस-संक्षिप्तियां नियमित रूप से दी जाती है।

(iii) अध्ययन कार्य सूची : क्या, कब और कैसे?

अध्ययन कार्यसूची		
	कब?	**कैसे?**
विवेचित अध्ययन कार्यसूची (क) अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय प्रथाओं तथा मानकों के साथ संरेखण (ख) व्यवसाय करने के लिए सहजता पर विश्व-रैंकिंग में सुधार करना (ग) व्यवसाय को कितनी तीव्रता से तथा कारगरता से बंद किया जाए (घ) कारपोरेट धोखाधड़ियों आदि के विरूद्ध विधिक बचाव के रास्तों को कैसे ब्लाक किया जाए (ङ) रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज में विभिन्न सेवाओं के लिए आवेदनों को निपटाने में एकरूपता तथा सुसंगति। **अनिवार्य** (क) हमारी प्रशासनिक संरचना में सुधार करना (ख) स्टेकहोल्डरों की	नियमित अंतरालों पर, अधिमानतः प्रत्येक माह एक बार (प्रत्येक वर्ष "भारत कारपोरेट सप्ताह" के दौरान विशेष अभियान के साथ) मंत्रालय भी अपने स्टेकहोल्डरों तथा स्वायत्त निकायों के साथ दैनिक आधार पर नियमित रूप से (कम के कम ई-मेल तथा फोन पर) आदान-प्रदान करके सतत अध्ययन प्रक्रिया में लगा हुआ है।	सेमिनारों, कार्यशालाओं के माध्यम से तथा ओईसीडी, जीआरआई, जीटीजेड, एमएसई, बीएसई तथा एमसीएक्स-एसएक्स आदि जैसे स्वायत्त निकायों और प्रमुख उद्योग चैम्बरों तथा व्यावसायिक संस्थानों जैसे प्रतिष्ठित, अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय निकायों के माध्यम से बैठकें। मंत्रालय अपने भारतीय कारपोरेट कार्य संस्थान (आईआईसीए) के माध्यम से ऐसे अनेक आदान-प्रदानों का आयोजन करता हैं, कभी-कभी ऐसे संगठन मंत्रालय को भी अपनी-अपनी प्रतिस्पर्धाओं में भाग लेने के लिए असंगठित करते हैं। मंत्रालय वीडियों-कांफ्रेंस तथा टेली-कांफ्रेंसों का भी आयोजन करता है तथा उपर्युक्त निकायों के साथ ई-मेल द्वारा नियमित आदान-प्रदान है। मंत्रालय पीएमयू के माध्यम से

शिकायतों पर जवाबदेही तंत्र में सुधार करना (ग) क्षेत्रीय कार्यालयों, विशेष रूप से अधिकारिक परिसमापकों के कार्यालयों जिनमें सूचना प्रौद्योगिकी तथा संघटन शामिल हैं, के संपूर्ण परिवर्तित प्रबंधन के माध्यम से सेवा-डिलीवरी में सुधार करना (घ) प्रभाव मूल्यांकन/मंत्रालय के सूत्रपातों को समवर्ती-मूल्यांकन।		अपने फ्लेगशिप कार्यक्रम एमसीए-21 के तिमाही सर्वेक्षणों को भी संचालित करता है तथा ऐसी ही कार्रवाई एमसीए की अन्य पहल शक्तियों के लिए भी पूरी की जा सकती है।

(iv) अपेक्षित स्रोत: जनता, धन तथा अवसंरचना

- अनुनादी तथा सुप्रशिक्षित कार्य बल
- प्रौद्योगिकी उपकरण
- कारपोरेट कार्य मंत्रालय सरकार से जब कभी स्रोतों तथा निधियां अपेक्षित होती है, वित्त मंत्रालय तथा योजना आयोग से संपर्क करता है।

(v) खोज तथा मानदंड: प्रगति का आकलन, समीक्षकों की पद्धति, सुधारात्मक, कार्रवाइयों की पद्धति के लिए मानदंड तथा टीका-टिप्पणियां:

आरएफडी को मंत्रालय के रिपोर्ट कार्ड के रूप में तैयार किया जाता है और यह हमारी कार्यनीति संबंधी पहल शक्तियों को प्रगति की खोज करने के लिए पर्याप्त है। मंत्रालय की रणनीतिक पहलशक्तियां वहन योग्य होती है तथा उनका आरएफडी से सीधा संपर्क होता है।

एक सचिवालय में श्रेणीबद्ध संरचना इस प्रकार तैयार की जाती है कि यह कड़ी समीक्षा अंतनिर्मित जांचों तथा शेषों के साथ मॉनीटरिंग को सुनिश्चित करती है।

किसी भी प्रासंगिक मामले पर एक फाइल/नोट अनुभाग अधिकारी स्तर से आरंभ होता है, इसकी अवर सचिव द्वारा संवीक्षा की जाती है और वह उसे उप-सचिव अथवा निदेशक को भेजता है और वे दोनों विस्तृत क्षेत्रीय अनुभव के साथ वरिष्ठ अधिकारी होते है। इस स्तर पर जांच तथा अद्यतन स्थिति के बाद, फाइल संयुक्त सचिव की समीक्षा, टिप्पणियों तथा सुझावों

के साथ विशेष सचिव/अपर सचिव को जाती है, तत्पश्चात् मंत्रालय के सचिव को जाती है जो मंत्रालय/विभाग का प्रमुख होता है और भारत सरकार में सबसे वरिष्ठ अधिकारी होता है।

कुछ मामलों में, फाइल कारपोरेट कार्य मंत्रालय के माननीय मंत्री को उनकी समीक्षा तथा अनुमोदन के लिए भेजी जाती है।

कुछेक फाइले विधि मंत्रालय जैसे मंत्रालयों को उनकी समीक्षा, टिप्पणियों अथवा सुझावों के लिए भेजी जाती है। अंतर-मंत्रालीय अंतर-विभागीय मामलों में बैठकें की जाती है।

अतः समीक्षा तथा मॉनीटरिंग की वर्तमान प्रक्रिया बहुत सी विस्तृत है।

(vi) समग्र योजना तथा मील का पत्थरः विस्तृत कार्यकलाप, समन्वय के मुद्दे, मील का पत्थर तथा समीक्षा मुद्दे

विस्तृत कार्यलाप जिन्हें आरएफडी ये अंतिम रूप दिया है, को निश्चित अवधि, स्मार्ट उद्देश्यों तथा पता लगाए गए मील के पत्थर के साथ, निम्नानुसार आरंभ किया जाएगा।

मील के पत्थर तथा निश्चित समय पूर्ण रूप से निर्देशक है तथा विशेष रूप से उन मामलों में यहां अन्य मंत्रालयों/विभागों पर निर्भरता बहुत अधिक है, कार्य-नीति संबंधी पहल शक्तियों की उपलब्धि पर निर्भर करते हुए संशोधित किए जा सकते हैं।

	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
विधिक	यह सुनिश्चित करने के लिए कि मामलों को उनमें निहित विधिक बचाव के रास्तों को बंद करते हुए, शीघ्र निपटान करने में न्यूनतम बाधाएं हैं, कंपनी अधिनियम, 1956 की बृहत समीक्षा • कंपनी (न्यायालय) नियमावली, 1959 संबंधी विशेषता ग्रुप की रिपोर्ट की जांच • अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानकों (आईएफआरएस) के साथ लेखामानकों का अभिसरण				

	• अभिसरित लेखामानकों के अनुसार कंपनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची-VI (तुलन-पत्र लाभ-हानि खाता का प्रारूप) तथा अनुसूची-XIV (मूल्य ह्रास की दरें) का संशोधन। • एलएलपी नियमवली, 2009 के अंतर्गत निर्धारित प्रक्रियाओं के संशोधन के बाद एलएलपी नियमावली तथा प्रारूपों की समीक्षा/संशोधन। • पुन: प्रारंभ/ईजी एग्जिट स्कीम का विस्तार। • कंपनी सामान्य नियमावली तथा फार्म, 1956 (केन्द्रीय सरकार) में निर्धारित प्रक्रियाओं के बाद नियमावली तथा फर्मों की समीक्षा/संशोधन।				
	विधान को सरल बनाना तथा परिपत्रों/दिशा-निर्देशों/अनुदेशों/अधिसूचनाओं (वृहत परिपत्रों) का एक सैट तैयार करना जिसे नियमित				

<table>
<tr><td></td><td>अंतरालों पर अद्यतन किया जा सकता है।</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>विनियामक परस्पर व्याप्ति के क्षेत्रों का पता लगाना, उदाहरणार्थ सेबी के साथ तथा आरबीआई के साथ तथा उन्हें सरल बनाना।</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">अंतर्विभागीय परामर्शों के लिए तंत्र में सुधार करना</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="3">व्यवसाय के लिए अनापत्ति "केन्द्रीकृत" (सिंगल विन्डों) की दशाम में एसमीए की व्यवहार्य भूमिका</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">घोटालों पर नियंत्रण करने के लिए कारगर निवारक उपाय आरंभ करना</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">संकट प्रबंधन योजना तैयार करना (मानक प्रचालन प्रकिया के साथ)</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">सामाजिक-आर्थिक</td><td colspan="2">← कारपोरेट अभिशासन पर दिशा-निर्देशों की समीक्षा करना तथा उन्हें संशोधित करना →</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>विकसित देशों में उत्तम-प्रथाओं के साथ कारपोरेट नीतिशास्त्र के लिए संहिता तैयार करना</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">अत्यावश्यक विनियम जो अनिवार्य है अथवा जिन्हें निहित विकास की सुनिश्चित करने के लिए अद्यतन किए जाने की आवश्यकता है, पर व्यवसाय, व्यावसायिकों तथा अधिकारियों के साथ राष्ट्रीय कार्यशालाओं के माध्यम से मतैक्य तैयार करना</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">प्रौद्योगिकी</td><td colspan="2">← एक्सबीआरएल →</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>← एलएलपी बैक ऑफिस →</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">← एलएलपी बैक ऑफिस →</td><td></td><td></td></tr>
</table>

	← एग्जिट मैनेजमेंट प्लान इन एमसीए-21 →				
	← मूल्य वर्धित सेवाओं के लिए एसपीवी तैयार करना तथा एमसीए डाटा को मुद्रीकृत करना →				
			← अगली पीढ़ी एमसीए-21 →		
पर्यावरणीय	कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व पर दिशा-निर्देशों की समीक्षा तथा संशोधन				

क्रियान्वयन में प्राथमिकता प्रदान करना, चरणबद्ध करना तथा प्रक्रिया का ब्यौरा

मंत्रालय ने उच्च प्राथमिकता के आधार पर कुछेक कार्यकलाप आरंभ किए हैं। आरएफडी 2011-12 के अनुसार इस वर्ष के लिए मुख्य उद्देश्य तथा उनके महत्व (जो संबद्ध प्राथमिकता को दर्शाता है) इस प्रकार हैं:-

(क) कारगर अनुपालन तथा प्रबुद्ध विनियामक व्यवस्था (वेट-29 प्वाइंट) के सुकर के लिए कारपोरेट क्षेत्र को शासित करने वाले सरलीकृत नियम उपलब्ध कराना

(ख) सभी-रजिस्ट्री संबद्ध सेवाएं गति, सुनिश्चित तथा पारदर्शिता के साथ ऑनलाइन डिलीवरी, सार्वजनिक सूचना सुलभ कराना तथा कंपनियों द्वारा सांविधिक अनुपालन की प्रभावी मॉनीटरिंग (वेट-25 प्वाइंट)

(ग) निवेशक शिक्षा तथा उपयुक्त व्यवसाय पर्यावरण जो देश में कारपोरेट क्षेत्र को विकास को सुकर करता है, के लिए ज्ञान का संवर्धन करना।

(घ) क्षमता निर्माण विकसित करना तथा आईआईसीए प्रचालन के माध्यम से नीति सलाह सहायता प्राप्त करना - 10 प्वाइंट

(ङ) कंपनी अधिनियम, एमसीए के अधिकार क्षेत्र के तहत अन्य अधिनियमों (प्रभावी-कार्य बल) को प्रबंधित करना - 15 प्वाइंट

(च) आरएफडी प्रणाली का कारगर कार्यकरण - 3 प्वाइंट

(छ) मंत्रालय की आंतरिक दक्षता/जवाबदेही/सेवा प्रदान करने में सुधार करना।

(ज) वित्तीय उत्तरदायित्व कार्य ढांचा का अनुपालन सुनिश्चित करना - 2 प्वाइंट

पता लगाए गए उच्च प्राथमिकता वाले उद्देश्यों के अनुसार, मंत्रालय ने प्रभावी अनुपालन प्रबुद्ध विनियामक शासन प्रणाली को सुकर बनाने के उद्देश्य से चर रहे कार्यकलापों को पहले जारी रखा है तथा उन्हें तैयार किया है, जिसका विवरण नीचे दिया गया हैं:-

क) डीआईएन प्रक्रिया का सरलीकरण
   - निदेशकों/पदनामित सझेदारों के लिए केवल एक ही नंबर (डीपीआईएन तथा डीआईएन में विलय करते हुए)

ख) खंड 25 कंपनी का दुतगति से निगमन।

ग) नाम उपलब्धता दिशा-निर्देशों की समीक्षा

घ) निधियों के साध्य प्रयोग, सार्वजनिक जमा, शेयरों डिबेंचरों, प्राइवेट स्थापना आदि की मॉनीटरिंग में सुधार करना।

- फर्मों के ऐसी सूचना उपलब्ध कराने के लिए मंत्रालय की वेबसाइट iepf.gov.in पर सब-साइट तैयार करना

ङ) विदेशी कंपनी द्वारा भारत में व्यवसाय के प्रमुख स्थान की स्थापना के लिए स्पष्ट नाम उपलब्धता दिशा-निर्देश।

च) भारत में विदेशी कंपनी के संपर्क कार्यालय को बंद करने में प्रक्रिया को सरल बनाना

छ) आरडी बनाम 621 के द्वारा अपराध के प्रशमन के लिए प्रक्रिया को सरल बनाना

ज) संबद्ध पक्ष संव्यवहार बनाना 297 के लिए प्रक्रिया को सरल बनाना

झ) आरडी बनाम 22 द्वारा नाम के परिशोधन का आदेश

ञ) एमडी/डब्ल्यूटीडी की नियुक्ति तथा पारिश्रमिक के भुगतान के अनुमोदन के लिए आवेदन हेतु प्रक्रिया को सरल बनाना

ट) रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज में कंपनियों के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया में एकरूपता का सृजन करना।

ठ) एमसीए प्रयोक्ताओं के लिए धन-वासपी की नीति तैयार करना

ड) विलय तथा अभिग्रहण से संबंधित मुद्दों को सरल बनाना

ढ) संहिताओं के नाम चित्रण एनआईसी-2004 से एनआईसी-2008 सहित यूनिक सीआईएन तैयार करना

ण) मास्टर डाटा करेक्शन से संबंधित मुद्दा सुलझाना

त) एसआईसीए अधिनियम के तहत बाईआईएफआर द्वारा जारी किए गए समामेलन आदेश में प्रयोक्ताओं की समस्याओं का समाधान करने के लिए अद्यतन स्थिति सुलभ कराने की दृष्टि से फार्म-21 में आशोधन अपेक्षित है।

इसी प्रकार रजिस्ट्री संबद्ध सेवाओं के गति, सुनिश्चितता और पारदर्शिता, सार्वजनिक सूचना की सुलभता तथा कंपनियों द्वारा सांविधिक अनुपालन की प्रभावी मॉनीटरिंग के उद्देश्य के लिए निम्नलिखित कार्यकलाप उच्च प्राथमिकताओं के आधार पर किए जा रहे हैं:-

क) आरडी - रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी कार्यालयों के बीच कागजातों का कम संप्रेषण।

ख) कंपनी निगमन से संबद्ध फार्मों के लिए उच्च प्राथमिकता के साथ अनुमोदन में पंक्ति के लिए नए प्राथमिकता आदेश तैयार करना

ग) एमसीए सेवाओं में 50,000 से कम शुल्क भुगतान हेतु ऑनलाइन भुगतान करने को अनिवार्य बनाना

कैब खंड के तहत पीएमडी ने "विभागीय कार्यकलापों से संबद्ध भ्रष्टाचार के संभाव्य क्षेत्रों का पता लगाने तथा उन्हें कम करने के लिए कार्रवाई योजना विकसित करने", सफल संकेतक के साथ "भ्रष्टाचार के

संभाव्य क्षेत्रों को कम करने के लिए कार्रवाई योजना को अंतिम रूप देने" नामक " आंतरिक कार्य कुशलता/अनुक्रियाशीलता/मंत्रालय/विभाग के सेवा-वितरण में सुधार" उद्देश्य के तहत एक अनिवार्य प्वाइंट आरंभ किया है।

ऐसा करके पीएमडी ने वर्ष 2011-12 के लिए आरएफडी के साथ "व्यवहार में नीतिशास्त्र का निम्न स्तर" को संबोधित करने के लिए योजना में हमारी कार्यनीतियों में से एक को पंक्तिबद्ध करने में मदद करके मार्ग प्रशस्त किया है। यद्यपि यह तर्क किया जा सकता है कि भ्रष्टाचार को कम करना एक दीर्घकालीन उद्देश्य तथा कार्य-योजना है, यह तथ्य है कि मंत्रालयों के दैनिक कार्य के साथ पूर्ण रूप से ध्यान आकर्षित किए जाने के कारण सरकारी अधिकारियों में निम्न नीतिशास्त्र के मुद्दे को संबोधित करने पर सामान्यतया कोई संकेन्द्रित ध्यान नहीं दिया जाता है। आशा की जाती है कि अन्य मंत्रालयों की तरह एमसीए वर्ष 2011-12 के लिए कतिपय प्राण्य लक्ष्यों को परिभाषित कर सकेगा तथा उन्हें आरएफडी में वांछनीयता के अनुसार प्राप्त करेगा।

खंड 5: महत्वपूर्ण योजना आरएफडी के बीच संपर्क

महत्वपूर्ण पहल अगले 5 वर्षों के लिए मंत्रालय में प्रमुख प्रेरक बल होगा। ये महत्वपूर्ण पहलशक्तियां 2011-12 से आरंभ हो रही भावी आरएफडी का मार्गदर्शन करेंगी। विस्तृत कार्यकलापों पर निर्णय बाद की आरएफडी पर अंतिम निर्णय लेते समय किया जाएगा।

आरएफडी
कार्रवाई

आरएफडी
उद्देश्य

महत्वपूर्ण पहलशक्तियां

मामला 1

उदाहरणार्थ, ओएल ई- अभिशासन जैसे "प्रौद्योगिकी" शीर्ष के तहत विशेष महत्वपूर्ण पहल के लिए आरएफपी को अंतिम रूप दिए जाने से पूर्व क्रियान्वयन तक उसकी बोली लगाने तक परियोजना का समस्त रोल-आउट अगले दो वर्षों तक उसका विस्तार हो जाएगा और तदनुसार, भावी वर्षों में एमसीए की आरएफडी में प्रतिबिंबित होगा।

मामला 2

एमसीए के लिए ऐसा ही अन्य उदाहरण एक्सबीआरएल के क्रियान्वयन का है। अंतिम क्रियान्वयन हेतु इसकी विभिन्न प्रक्रियाएं होंगी, जैसे कि:

- क) एक्सबीआरएल वर्गीकरण (टैक्सोनामी) को अंतिम रूप दिया जाना (तारीख-1)
- ख) वर्गीकरण तथा अनुसूची-VI का अनुमोदन तथा प्रकाशन (तारीख-I)
- ग) विक्रेताओं द्वारा तदनुसार उनके आवेदनों को अद्यतन करने के लिए अपेक्षित समय।
- घ) क्रियान्वयन अनुसूची के अनुसार, कंपनियों द्वारा एक्सबीआरएल में अपनी-अपनी वार्षिक विवरणिका फाइल करने के लिए उनकी श्रेणी चुनना। (तारीख-4)
- ङ) सभी कंपनियों के लिए एक्सबीआरएल अनुपालन अनिवार्य करने के लिए तारीख (तारीख-5)
- च) एक्सबीआरएल का विस्तार एलएलपी कंपनियों के लिए करना (तारीख-6)

उपर्युक्त (क) से (घ) के कार्यकलाप आरएफडी 2011-12 का भाग होंगे और आरएफडी 2012-12 के भाग होंगे।

मामला 3

24 घंटे के लिए अंदर कंपनियों का समावेशन, एमसीए के उद्देश्यों में से एक प्रमुख उद्देश्य भी है। इसके मुख्य कार्रवाई संबंधी मुद्दों में ये शामिल हैं:-

- डीआईएन प्रक्रिया का सरलीकरण
    - आवेदन की पठनीय प्रति को समाप्त किया जाए
    - कंपनी रजिस्ट्रार को ऑनलाइन पर आरडी को रिपोर्ट भेजी जाए
    - आवेदन के लिए आना और आवेदन की पठनीय प्रति त्रुटि भौतिक रूप से टीक करने के लिए आना अनिवार्य नहीं। आरडी इसे ऑनलाइन पर कर सकता है। आरडी कार्यालय में वास्तविक प्रति भेजने को बंद किया जाए।
- खंड 25 कंपनी का समावेशन
    - लाइसेंस जारी करने को अलग किया जाए
    - कंपनी रजिस्ट्रार की रिपोर्ट को अलग किया जाए
    - संघ का ज्ञापन और संघ की अंतर्नियमावली के प्रारूप नमूने वेबसाइट पर लोड किए जाएं ताकि त्रुटियों को दूर किया जा सके।
- 24 घंटे के भीतर उपलब्धता बताना
    - नाम उपलब्ध कराने संबंधी दिशा-निर्देश तथा आबंटन प्रक्रिया को सरल बनाना तथा कंपनी रजिस्ट्रारों में समरूपता बनाए रखना
    - नाम के आबंटन हेतु यथा संभव प्रणाली का प्रयोग

इसके अतिरिक्त, कार्रवाई संबंधी प्वाइंट्स को ऊपर दर्शाए गए महत्वपूर्ण सफल संकेतकों में विभाजित किया गया है और आरएफडी के पास इन कार्यकलापों के लिए विस्तृत समय-सीमा होगी।

खंड 6: अन्योन्य विभागीय तथा अन्योन्य कार्यात्मक मुद्दे

एमसीए के कार्य सेबी, आरबीआई, आईआरडीए तथा महालेखा नियंत्रक से संबद्ध हैं और मंत्रालय बोर्डों, समितियों तथा कोर ग्रुप आदि जैसे संस्थागत तंत्र के माध्यम से कड़े समन्वय को सुनिश्चित करेगा।

6क. संभावित चुनौतियां जिन्हें 12वीं योजना में शामिल किया जा सकता है से, अंतर्निहितता।

i. विकास की क्षमता में वृद्धि करना

"प्रबुद्ध - विनियमन के साथ कारपोरेट विकास को सुकर बनाने के लिए" हमारे दृष्टिकोण का इस 12वीं योजना के मुद्दे से संबंध है। कारपोरेट विकास को सुकर बनाते हुए, मंत्रालय विकास के लिए अर्थव्यवस्था की क्षमता में वृद्धि कर रहा है। सीएसआर संबंधी हमारे दिशा-निर्देशों के माध्यम से, मार्गदर्शन प्रदान करते हुए, मंत्रालय उत्तरदायी व्यवस्था को प्रोत्साहित कर रहा है जिसके फलस्वरूप हमारे राष्ट्र के संसाधनों में बेहतर आबंटन हो रहा है। इसके अतिरिक्त, प्रभावशाली निवेशक जागरूकता अभियान के माध्यम से निवेशकों का मार्गदर्शन करते हुए, हम निवेशकों के लिए उचित प्राथमिकता निर्धारित कर रहे हैं तथा उत्तरदायित्व तथा बेहतर व्यवसाय के प्रति निवेशक बचत में हस्तक्षेप कर रहे हैं। इस प्रकार से, एमसीए उन क्षेत्रों में अधिक निवेश को प्रोत्साहित कर रहा जो उच्चतर राष्ट्रीय विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए संगत हो।

ii. कुशलता तथा नियोजन के तीव्र अवसर सुलभता में वृद्धि करना

कारपोरेट क्षेत्र के विकास के उच्चतर नियोजन के सृजन में भी वृद्धि होती है तथा इसमें देश के आर्थिक विकास पर बल देते हुए लघु तथा सूक्ष्म उद्यम भी शामिल हैं।

iii. पर्यावरण का प्रबंध करना

मंत्रालय का संपोषित व्यवसाय यह सुनिश्चित करता है कि कारपोरेट विकास को पर्यावरणीय विषयों पर समझौते के आधार पर प्रोत्साहित किया जाता है। मंत्रालय द्वारा जारी की गई "कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व" संबंधी संशोधित स्वैच्छिक दिशा-निर्देश पर्याप्त रूप से इन समस्याओं की ओर ध्यान केन्द्रित करते हैं।

iv. कार्यकुशलता तथा समावेशन के लिए खुले बाजार

मंत्रालय कारपोरेट क्षेत्र के विकास के समावेशी विकास पर बल देता रहा है, मंत्रालय ने स्वैच्छिक कारपोरेट अभिशासन दिशा-निर्देश प्रकाशित किए है जिनका अभिप्राय यह है कि कारपोरेट क्षेत्र का विकास "आम-आदमी" तक पहुंचे। इसके अतिरिक्त, कारपोरेट अभिशासन का अभिप्राय यह है कि कपटपूर्ण कार्यप्रणाली में लगे बगैर एक उचित तथा पारदर्शी कारपोरेट कार्य सुनिश्चित करना और इस प्रकार, देश के विकास में योगदान करना है।

v. केन्द्रीकरण, अधिकारिता तथा सूचना

मंत्रालय अपने प्रमुख ई-गवर्नेंस कार्यक्रम एमसीए-21 के माध्यम से यह सुनिश्चित करता है कि कंपनियों के पंजीकरण संबंधी सूचना सभी नागरिकों को पारदर्शी रूप में उपलब्ध है। इस प्रकार की पहलों से निवेशकों तथा एमसीए सेवाओं के अन्य प्रयोक्ताओं को अधिकार प्राप्त होते हैं। एसमीए उन बैंकों की वृद्धि कर रहा है जो एमसीए सेवाएं प्रदान करने में कार्य कर रहे हैं। इसी प्रकार बैंकों से यह आशा की जाती है कि वे उन अपनी शाखाओं में बढ़ोतरी करें जहां से एमसीए संबद्ध भुगतान किए जा सकते हों। इससे आशा की जाती है कि एक श्रृंखला प्रभाव के रूप में, एमसीए सेवाएं उपलब्धता में वृद्धि हो; गवर्नेंस पहलों के माध्यम से बृहत आउटरीच एक उचित और पारदर्शी तरीके से नागरिकों को सूचना प्रदान करने को सुनिश्चित करता है तथा इससे नागरिकों को अधिकार प्राप्त होते हैं।

vi. प्रौद्योगिकी तथा नवाचार

एमसीए बेहतर गवर्नेंस सुलभ कराने में प्रौद्योगिकी के प्रयाग में अग्रणी रहा है। मंत्रालय का ध्वज-पोत गवर्नेंस कार्यक्रम अर्थात् एमसीए-21, देश में बहुत ही सफल गवर्नेंस पहल समझी गई है क्योंकि यह कारपोरेट क्षेत्र में एमसीए सेवा वितरण समाधान पूरा करने का एक उद्देश्य है। एमसीए-21 अपनी पहलों की समीक्षा तथा उनमें सुधार करने में सतत रूप से स्टेकहोल्डरों के साथ लगा रहा है। ई-स्टांपिंग, एमसीए की हाल की पहल है जिसके तहत राज्य सरकारों ने एमसीए को अपनी ओर से स्टांप ड्यूटी एकत्र करने के लिए प्राधिकृत किया है। इस पहल में सेवा वितरण के समय में कटौती की है, स्टांप ड्यूटी रिसावों को बंद किया है तथा खातों का बेहतर और तीव्र समाधान और सरकारी शीर्ष में स्टांप ड्यूटी के विप्रेषण को भी सुनिश्चित किया है। यह भारत सरकार में सफल "ग्रीन" पहल भी है।

vii. भारत की भावी शक्ति अर्जित करना

मंत्रालय कारपोरेट क्षेत्र की धारणीय संवृद्धि पर बल देता रहा है, इसमें देश की भावी शक्ति अर्जन सहित विषय शामिल हैं। मंत्रालय कारपोरेट को सीआरएस के दिशा-निर्देश जारी करता रहा है तथा ये दिशा-निर्देश राष्ट्र से संबंधित शक्ति की दिशा में नई और सृजनात्मक पहलों पर विचार करने के लिए कारपोरेट को प्रोत्साहित करते हैं?

एमसीए-21 के विभिन्न फार्म इसकी मुख्य विशेषता रहें हैं। इससे एमसीए के कार्यालयों में तथा इस सेवा के प्रयोक्ताओं में कागज के उपभोग में पर्याप्त रुप से कमी आई है। ई-स्टांप ड्यूटी एकत्र करने की इसकी एक पहल के माध्यम से, मंत्रालय ने 45 लाख से अधिक पृष्ठ बचाये थे जो कि साध्य प्रयोक्ताओं द्वारा अन्यथा रूप से प्रयोग के जा सकते थे।

6ख तथा 6ग. अन्य मंत्रालयों तथा विभागों के साथ संपर्क तथा संबद्ध महत्वपूर्ण पहल

कारपोरेट कार्य मंत्रालय अपनी प्रत्येक परियोजना के लिए संसाधनों हेतु वित्त मंत्रालय से संपर्क करता है तथा कारपोरेट कानून की विधिक्षा के लिए विधि मंत्रालय से समय-समय पर संपर्क करता है। यह सूचना और प्रौद्योगिकी विभाग के साथ अपनी आईसीटी पहल पर बारीकी से चर्चा करता है ये सभी परामर्शी जारी रहेंगे।

संबद्ध संभाव्य कार्यनीति
राजनीतिक
लक्ष्य निर्धारित करने, मतैक्य बनाने तथा पेचीदे मुद्दों के परिवर्तित प्रबंधन में वचनबद्ध अधिकार तंत्र के साथ व्यवहार्य राजनीतिक नेतृत्व को शामिल करना। मंत्रालय अपनी महत्वपूर्ण पहलों के आयोजन में एमसीए के समर्थन को जारी रखने तथा आरएफडी दस्तावेज और अपनी सहयोजित प्रक्रिया के माध्यम से प्रत्येक वर्ष अपने प्रमुख क्षेत्रों को प्राथमिकता देने में भी परियोजना प्रबंधन प्रभाग के माध्यम से मंत्रिमंडल सचिवालय से भी संपर्क करता है।
विधिक
यह सुनिश्चित करने के लिए कि मामलों के शीघ्र निपटान में, उनमें निहित बचाव के रास्तों को बंद करते हुए, अल्प-बाधाएं हैं, कंपनी अधिनियम, 1956 की विस्तृत समीक्षा करना। विनियामक अतिव्याप्ति उदाहरणार्थ सेबी तथा आरबीआई के साथ तथा उन्हें सरल बनाने के क्षेत्रों का पता लगाना। अंतर-विभागीय परामर्शों के लिए तंत्र में सुधार करना। व्यवसाय के लिए "केन्द्रीकृत" समाशोधन की दिशा में अग्रसर होते हुए, एमसीए की व्यवहार्य भूमिका। घोटालों को रोकने के लिए प्रभावी निवारक उपाय करना। कारपोरेट घोटालों पर कार्रवाई करने के लिए मंत्रालय की संकट प्रबंधन योजना (मानक प्रचालन क्रिया विधि के साथ) तैयार करना। मंत्रालय के सभी नीति संबद्ध मुद्दों में विधि मंत्रालय एक महत्वपूर्ण कार्यनीति साझेदार है। मंत्रालय समय-समय पर अपनी अधिसूचनाओं, परिपत्रों तथा कंपनी कानूनों में संशोधनों की विधिक्षा के लिए विधि कार्य विभाग से संपर्क करता रहता है। मंत्रालय नीति तथा प्रशासनिक

मुद्दों पर उच्च न्यायालय में समादेश-आवेदन तथा माननीय उच्चतम न्यायालय में स्पेशल लीव पेटिशन दायर करने में विधि कार्य विभाग की भी सहायता लेता है।
प्रौद्योगिकी संबद्ध
सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से मॉनीटरिंग तथा अनुपालन में सुधार करना। यह सुनिश्चित करने के लिए कि मंत्रालय द्वारा कंपनी की सूचना रिकार्ड की जाती है तथा कारगर रूप से पिछला कार्य निष्पादन भी रखा जाता है, एक्सबीआरएल जैसे अन्ततम उपायों के साथ प्रौद्योगिकी को अद्यतन बनाना। सभी प्रौद्योगिकी संबंधी मुद्दों पर कार्रवाई करने तथा नई मूल्य वर्धित सेवाएं विकसित करने के लिए एमसीए के लिए एसपीवी तैयार करना। कारपोरेट डाटाबेस का प्रयोग करने तथा संसाधनों के प्रभावी मुद्रीकरण के लिए संकेन्द्रित दृष्टिकोण। मंत्रालय संबंधित विभागों से एक-एक के आधार पर अपनी प्रमुख महत्वपूर्ण पहलों पर चर्चा करता है। मंत्रालय का ध्वज-पोत कार्यक्रम एमसीए-21, डीआईटी की एनईजीपी पहल के तहत प्रथम तथा सफलतम एमएमपी है। मंत्रालय, ट्रेडमार्क प्राधिकरण डीआईपीपी (वाणिज्य मंत्रालय) के तहत ईबिज परियोजना के साथ एलएलपी परियोजना, समाकलन जैसी अन्य पहलों में एनआईसी, सीडीएसी तथा एमटीक्यूसी आदि जैसे अपने संगठनों के माध्यम से अथवा प्रत्यक्ष रूप से डीआईटी के साथ सक्रिय रूप से निहित है। • ट्रेडमार्क प्राधिकरण के साथ समाकलन लगभग पूरा होने वाला है। • ईबिज परियोजना के लिए, एमसीए की 4 सेवाओं अर्थात् फार्म-I, फार्म-Iक ईबिज प्रवेश (पोर्टल) संबंधी पेशकश के लिए पता लगाया गया है। एमसीए ईबिज की प्रत्येक पखवाड़े से महीने में एक बार नियमित बैठकों के माध्यम से उनके प्रौद्योगिकी समाधान विकसित करने के लिए, गहनता से कार्य कर रहा है। मंत्रालय एमसीए से संबद्ध विनियामक कार्य के लिए आरबीआई के साथ समन्वय करता है। हम अपने वित्त तथा ई-गवर्नेंस के लिए वित्त मंत्रालय के संपर्क में रहते है। हम ई-गवर्नेंस के एसपीवी जैसी अपनी नई पहलों के संबंध में योजना आयोग से भी सलाह लेते हैं।

6घ. संगठनात्मक समीक्षा तथा एजेंसियों और व्यापक जनसेवा की भूमिका

मंत्रालय अपनी नीतियों तथा पहलों की नियमित रूप से समीक्षा करने के लिए सचेत है। दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग की अधिकांश सिफारिशों पर कार्रवाई की गई है तथा की गई कार्रवाई की रिपोर्ट (एटीआर) हाल ही में भेजी गई है।

सिटीजन-चार्टर में संशोधन किया गया है तथा शिकायत निवारण तंत्र के साथ पूरे मंत्रालय तथा अधीनस्थ निकायों द्वारा इसे कार्यान्वित किया गया है।

मासिक अ.शा.पत्रों के रूप में नियमित अद्यतन सूचनाएं मंत्रिमंडल सचिवालय तथा डीआईटी (एनईजीपी पर) जैसे अन्य सरकारी संगठनों को भेजी जा रही हैं।

परामर्शदात्री समितियां जिनमें दोनों सदनों के सदस्य होते हैं, विभिन्न विभागों के लिए, संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा गठित की जाती है। समितियों का उद्देश्य सदस्यों तथा मंत्रालयों के अधिकारियों के बीच विभाग की नीतियों और कार्यकरण पर औपचारिक चर्चा के लिए मंच प्रदान करना होता है। एमसीए की परामर्शदात्री समितियों की बैठक एमसीए में प्रमुख मुद्दों पर चर्चा के लिए पूर्व-निर्णीन्त कलेण्डर के अनुसार होती है।

इसके अतिरिक्त, वित्त संबंधी संसदीय स्थायी समिति मंत्रालय की सभी स्कीमों और परियोजनाओं की नियमित आधार पर समीक्षा करती है।

खंड 7. मॉनीटरिंग तथा समीक्षा प्रबंध

परामर्शदात्री समितियां जिनमें दोनों सदनों के सदस्य होते हैं, विभिन्न विभागों के लिए, संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा गठित की जाती है। समितियों का उद्देश्य सदस्यों तथा मंत्रालयों के अधिकारियों के बीच विभाग की नीतियों और कार्यकरण पर औपचारिक चर्चा के लिए मंच प्रदान करना होता है। एमसीए की परामर्शदात्री समितियों की बैठक एमसीए में प्रमुख मुद्दों पर चर्चा के लिए पूर्व-निर्णीन्त कलेण्डर के अनुसार होती है।

एमसीए-21 मंत्रालय के ध्वज-पोत कार्यक्रम (फ्लेगैग-शिप प्रोग्राम) की प्रत्येक वर्ष नियमित रूप से लेखापरीक्षा की जाती है।

मंत्रालय अपनी सभी महत्वपूर्ण पहलों जो आरएफडी, सिटीजन चार्टर तथा जीआरएम का भाग है/उनसे जुड़ी हुई भी हैं, की स्वतंत्र समीक्षा और लेखापरीक्षा निर्धारित कर रहा है।